सत्यमेव जयते

रक्षा मानकी दर्पण

2025 उनतीसवां अंक

मानकीकरण निदेशालय
रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय

राजभाषा प्रतिज्ञा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम, केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से; अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से; प्रशिक्षण और प्रोत्साहन से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाए रखेगें, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे; अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए; अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग और प्रचार-प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा हिंदी के संवर्द्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

जय हिंद !

रक्षा मानकी दर्पण

2025

उनतीसवां अंक

संरक्षक
एयर कमोडोर रजनीश कुमार
निदेशक एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मार्गदर्शन एवं परामर्श
श्री हिमांशु द्विवेदी
संयुक्त निदेशक (प्रशासन-II)

संपादक मंडल
श्री विजय कुमार मिथिलेश
सहायक निदेशक (राजभाषा)
श्री सौरभ शुक्ला
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

संपादन सहयोग
श्री सुनील कुमार तोमर
वरिष्ठ सचिवालय सहायक

मानकीकरण निदेशालय
कमरा संख्या- 670, 'ए' ब्लॉक
छठी मंजिल, रक्षा कार्यालय परिसर
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

“पत्रिका में प्रकाशित लेख रचनाकारों के अपने विचार हैं। लेखों में व्यक्त विचारों से सम्पादकीय सहमति आवश्यक नहीं।”

मानकीकरण निदेशालय (मुख्यालय) तथा सेल संवर्ग के सभी पाठकों से सुझाव, टिप्पणी तथा आगामी अंक के लिए एक ही ओर टाइप, मौलिक एवं अप्रकाशित रचनाएं वर्तमान पते पर 30 अप्रैल, 2026 तक आमंत्रित हैं।

अमित शाह
गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

प्रिय देशवासियो !

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

भारत मूलतः भाषा–प्रधान देश है। हमारी भाषाएँ सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान–विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम रही हैं। हिमालय की ऊँचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गाँव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहने और एकजुट होकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है।

मिलकर चलो, मिलकर सोचो और मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई और सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है।

भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पूर्वोत्तर में बीहू का गान, तमिलनाडु में ओवियालू की आवाज, पंजाब में लोहड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, आदिम समाज में ढोल–मांदर की थाप पर करमा की गूँज, माताओं की लोरियाँ, किसानों का बारहमासा, कजरी गीत, भिखारी ठाकुर की 'बिदेशिया', इन सबने हमारी संस्कृति को जीवन्त और लोककल्याणकारी बनाया है।

मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय भाषाएँ एक दूसरे की सहचर बनकर, एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ रही हैं। संत तिरुवल्लुवर को जितनी भावुकता से दक्षिण में गाया जाता है, उतनी ही रुचि से उत्तर में भी पढ़ा जाता है। कृष्णदेवराय जितने लोकप्रिय दक्षिण में हुए, उतने ही उत्तर में भी। सुब्रमण्यम भारती की राष्ट्रप्रेम से ओत–प्रोत रचनाएँ हर क्षेत्र के युवाओं में राष्ट्रप्रेम को प्रबल बनाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास को हर एक देशवासी पूजता है, संत कबीर के दोहे तमिल, कन्नड़ और मलयालम अनुवादों में पाए जाते रहे हैं। सूरदास की पदावली दक्षिण भारत के मंदिरों और संगीत परंपरा में आज भी प्रचलित है। श्रीमंत शंकरदेव, महापुरुष माधवदेव को हर एक वैष्णव जानता है। और, भूपेन हजारिका को हरियाणा का युवा भी गुनगुनाता है।

गुलामी के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएँ प्रतिरोध की आवाज बनीं और आज़ादी के आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने में भूमिका निभाई। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जनपदों की भाषाओं में, गाँव–देहात की भाषा में लोगों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा। हिंदी के साथ ही सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाटककारों ने लोकभाषाओं, लोककथाओं, लोकगीतों और लोकनाटकों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया। वन्दे मातरम् और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से ही उपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान के प्रतीक बने।

जब देश आजाद हुआ, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषाओं की क्षमता और महत्ता को देखते हुए

इस पर विस्तार से विचार–विमर्श किया और 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह दायित्व सौंपा गया कि हिंदी का प्रचार–प्रसार हो और वह भारत की सामासिक संस्कृति का प्रभावी माध्यम बने।

पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघ का मंच हो, जी–20 का सम्मेलन या SCO में संबोधन, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है।

मोदी जी ने आजादी के अमृत काल में गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने के जो पंच प्रण लिए थे, उसमें भाषाओं की बड़ी भूमिका है। हमें अपनी संवाद और आपसी संपर्क भाषा के रूप में भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए, न कि किसी विदेशी भाषा को। तभी हम गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त हो पाएँगे।

राजभाषा हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण कर हिंदी को जनभाषा और जनचेतना की भाषा बनाने का अद्‌भुत कार्य किया है। 2014 के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। संसदीय राजभाषा समिति ने वर्ष 1976 में अपनी स्थापना से लेकर 2014 तक माननीय राष्ट्रपति महोदया को प्रतिवेदन के 9 खंड प्रस्तुत किए थे, वहीं 2019 से अब तक 3 खंड प्रस्तुत किए जा चुके हैं। 13–14 नवम्बर 2021 को वाराणसी से प्रारंभ हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों की परम्परा भी लगातार आगे बढ़ रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी राजभाषा विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन पर आधारित 'कंठस्थ 2.0' में आज 5 करोड़ से अधिक वाक्यों का ग्लोबल डाटाबेस उपलब्ध है। 'लीला राजभाषा' और 'लीला प्रवाह' जैसे शिक्षण पैकेजों के माध्यम से 14 भारतीय भाषाओं में हिंदी सीखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2022 में शुरू हुआ 'हिंदी शब्द सिंधु' अब तक लगभग 7 लाख शब्दों से समृद्ध हो चुका है।

2024 में हिंदी दिवस पर 'भारतीय भाषा अनुभाग' की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बनें। डिजिटल इंडिया, ई–गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं।

मित्रों, भाषा सावन की उस बूँद की तरह है, जो मन के दुःख और अवसाद को धोकर नई ऊर्जा और जीवन शक्ति देती है। बच्चों की कल्पना से गढ़ी गई अनोखी कहानियों से लेकर दादी–नानी की लोरियों और किस्सों तक, भारतीय भाषाओं ने हमेशा समाज को जिजीविषा और आत्मबल का मंत्र दिया है।

मिथिला के कवि विद्यापति जी ने ठीक ही कहा है:
"देसिल बयना सब जन मिट्ठा।"
अर्थात् अपनी भाषा सबसे मधुर होती है।

आइए, इस हिंदी दिवस पर हम हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने और उन्हें साथ लेकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लें।

आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

वंदे मातरम्।

नई दिल्ली
14 सितंबर, 2025

(अमित शाह)

राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH

रक्षा मंत्री
भारत
DEFENCE MINISTER
INDIA

सत्यमेव जयते

संदेश

हिंदी दिवस उस सांस्कृतिक शक्ति को नमन करने का अवसर है जिसने हमारे विविध और विशाल राष्ट्र को एक सूत्र में बाँध रखा है। इस पावन अवसर पर मैं देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ।

आज आज़ादी के अमृतकाल में भारत नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। रक्षा, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और संस्कृति- हर क्षेत्र में हिंदी का उपयोग बढ़ रहा है। यह न केवल प्रशासन में पारदर्शिता लाता है, बल्कि आम नागरिक की भागीदारी और हमारे लोकतंत्र की जड़ों को भी सुदृढ़ करता है। हाल ही में "ऑपरेशन सिंदूर" में हमारी तीनों सेनाओं ने वीरता और समन्वय का अद्वितीय परिचय दिया। इस सफलता में जहां हमारी सेना ने अपने अदम्य साहस और कुशल तकनीकी का प्रदर्शन कर पूरे देश को राष्ट्र भावना तथा एकता के सूत्र में पिरोया, उसी प्रकार राजभाषा हिंदी ने भी संवाद और सहयोग को सरल बनाकर पूरे तंत्र को एक सूत्र में बांधा।

इस हिंदी दिवस के अवसर पर, आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हिंदी और भारतीय भाषाओं को केवल संवाद की भाषा ही नहीं, बल्कि विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान और प्रशासन की भी शक्ति बनाएंगे। हिंदी हमारी राष्ट्रीय एकता की धुरी है और इसी से हम सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे।

"जय हिंद"

(राजनाथ सिंह)

नई दिल्ली
02 सितम्बर, 2025

Office : Room No. 104, Ministry of Defence, South Block, New Delhi-110011
Tel. : +91 11 23012286, +91 11 23019030, Fax : +91 11 23015403
E-mail : rmo@mod.nic.in

मीरा मोहंती, भा.प्र.से.
Meera Mohanty, IAS
संयुक्त सचिव
Joint Secretary
Ph. : 23011553
Fax : 23019961

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
साउथ ब्लाक, नई दिल्ली-110011
Government of India
Ministry of Defence
Department of Defence Production
South Block, New Delhi-110011

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि मानकीकरण निदेशालय अपनी वार्षिक हिंदी ई- पत्रिका 'रक्षा मानकी दर्पण' के 29वें अंक का प्रकाशन करने जा रहा है। पूरा विश्व आज के युग में जिस तरह से डिजिटलीकरण की दिशा में बढ़ रहा है उसे देखते हुए हिंदी ई- पत्रिका का प्रकाशन अपने आप में एक उल्लेखनीय प्रयास है।

किसी भी राष्ट्र की समृद्ध संस्कृति का आधार उसकी अपनी मातृभाषा एवं राजभाषा होती है तथा उस राष्ट्र के उत्कर्ष एवं समृद्धि की गाथा की गूंज उसी भाषा में ध्वनित होती है। हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है जिसे करोड़ों लोगों द्वारा बोला एवं समझा जाता है। सोशल मीडिया, इंटरनेट के इस युग में हिंदी ने कम समय में ही अतंरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है जो हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यावन्यन की दिशा में मानकीकरण निदेशालय जोर- शोर से अपने दायित्वों का निर्वहन करता आ रहा है। इसी क्रम में, निदेशालय द्वारा हिंदी ई- पत्रिका का प्रकाशन निदेशालय एवं अधीनस्थ सेलों में कार्यरत कार्मिकों को राजभाषा हिंदी में उनके विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'रक्षा मानकी दर्पण' के विगत अकों की भांति 29वां अंक भी पाठकों का ज्ञानवर्धन करेगा एवं राजभाषा हिंदी के प्रति कार्मिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेगा। पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी कार्मिकों को शुभकामनाएं।

जय हिंद!

मीरा मोहंती

(मीरा मोहंती)

सत्यमेव जयते

एयर कमोडोर रजनीश कुमार वी एस एम
निदेशक
मानकीकरण निदेशालय
एनसीबी इंडिया

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
मानकीकरण निदेशालय
कमरा संख्या - 601, ए ब्लॉक
रक्षा कार्यालय परिसर
के जी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

Air Cmde Rajneesh Kumar VSM
Director
DoS & NCB India
Tele: 011-2307-2264
FAX : 011-2307-5686
E-mail : director.defstand@gov.in
Website : www.ddpdos.gov.in

Government of India
Ministry of Defence
Department of Defence Production
Directorate of Standardisation
Room No. 601, 'A' Block
Defence Offices Complex
KG Marg, New Delhi-110001

संदेश

मानकीकरण निदेशालय हर क्षेत्र में कार्य की उच्च गुणवत्ता को प्राथमिकता देता है। इसी उद्देश्य से निदेशालय में राजभाषा कार्यान्वयन तथा अनुपालन में उत्तम गुणवत्ता बनाए रखने हेतु निदेशालय द्वारा हिंदी ई-पत्रिका 'रक्षा मानकी दर्पण' के 29वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है।

भाषा के निरंतर प्रवाह और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है कि नए-नए मौलिक विचार एवं चिंतन सामने आते रहें। 'रक्षा मानकी दर्पण' निदेशालय के साथ-साथ अधीनस्थ सेलों के कार्मिकों के विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति के लिए एक सार्थक मंच प्रदान करती है।

'रक्षा मानकी दर्पण' के 29वें अंक में रचनाकारों द्वारा राजभाषा हिंदी में विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर सूचनापरक एवं ज्ञानवर्धक लेखों तथा भावपूर्ण रचनाओं को प्रस्तुत किया गया है जिनमें 'आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस', 'साइबर सुरक्षा', 'मानसिक स्वास्थ्य जागरुकता', 'लोक प्रशासन में नैतिकता', 'जलवायु परिवर्तन' इत्यादि प्रमुख हैं। इस पत्रिका में अपने लेखों एवं कविताओं के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए रचनाकारों ने पाठकों के लिए राजभाषा हिंदी में एक विस्तृत जानकारी एवं ज्ञानवर्धक रचनाओं का संकलन प्रस्तुत किया है।

'रक्षा मानकी दर्पण' के 29वें अंक के प्रकाशन पर इसके रचनाकारों एवं संपादक मंडल को उनके अथक प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं एवं पत्रिका की सफलता की कामना करता हूं।

जय हिंद!

रजनीश

(एयर कमोडोर रजनीश कुमार)

विजय कुमार मिथिलेश
सहायक निदेशक (राजभाषा)
दूरभाषः 011 23043262

भारत सरकार
मानकीकरण निदेशालय
कमरा सं. 670, 'ए' ब्लॉक
छठी मंजिल, रक्षा कार्यालय परिसर
के. जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

संपादकीय

मानकीकरण निदेशालय की वार्षिक हिंदी ई-पत्रिका 'रक्षा मानकी दर्पण' के 29वें अंक को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है। 'रक्षा मानकी दर्पण' मानकीकरण निदेशालय एवं इसके अधीनस्थ रक्षा मानकीकरण सेलों एवं डिटैचमेंट्स में कार्यरत कार्मिकों को लंबे समय से राजभाषा हिंदी में अपने विचार एवं अनुभूतियों को प्रस्तुत करने के एक सार्थक मंच के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करती आ रही है।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने में राजभाषा पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मानकीकरण निदेशालय ने अपनी राजभाषा पत्रिका को ई-पत्रिका के रूप में ढालकर इसे ज्यादा-से-ज्यादा पाठकों तक पहुंचाने का कार्य किया है।

वर्तमान परिदृश्य में राजभाषा हिंदी को सरकारी कामकाज में और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए इसका सुबोध, सरल एवं हिंदी सुगम प्रयोग अपरिहार्य भी है और प्रासंगिक भी। 'रक्षा मानकी दर्पण' न केवल अपने पाठकों को सहज और सरल हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए प्रेरित करती है अपितु उनमें राजभाषा हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं प्रयोग की अलख भी जगाती है।

'रक्षा मानकी दर्पण' के इस 29वें अंक में रचनाओं में विविधता एवं प्रासंगिकता का एक अनोखा संकलन प्रस्तुत किया गया है। इस अंक में एक ओर 'साइबर सुरक्षा' एवं 'ए आई' जैसे आधुनिक विषयों पर लेख लिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ, 'वित्तीय नियोजन', 'जलवायु परिवर्तन' एवं 'लिंग भेद' जैसी चुनौतियों पर भी लेख एवं कविताएं प्रस्तुत की गई है। साथ ही, सरकारी कार्मिकों हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए गए 'I Got कर्मयोगी' जैसी प्रासंगिक पहल पर भी एक सूचनाप्रद लेख प्रस्तुत किया गया है। विगत वर्षों की भांति पत्रिका में राजभाषा हिंदी से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमों, प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।

'रक्षा मानकी दर्पण' का यह 29वां अंक न केवल पाठकों को सार्थक सूचना एवं ज्ञान से ओत-प्रोत करेगा, बल्कि उन्हें भविष्य में राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित भी करेगा। इसी आशा एवं विश्वास के साथ 'रक्षा मानकी दर्पण' का यह 29वां अंक पाठकों के लिए प्रस्तुत है।

जय हिंद !

विजय मिथिलेश

विषय-सूची

क्रं सं.	रचनाएं	रचनाकार का नाम	पृ.सं.
1.	बेटा रावण तो बेटी सीता (कविता)	जयराम वर्मा	1
2.	वित्तीय नियोजनः स्कूल स्तर पर (लेख)	सार्जेंट प्रशांत कुमार ठाकुर	5
3.	धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद- एक वैश्विक चुनौती (लेख)	सचिन ढवले	8
4.	हिंदीः हमारी पहचान और गौरव (लेख)	मयंक	10
5.	i-GOT कर्मयोगी: एक परिचय (लेख)	सौरभ शुक्ला	12
6.	जलवायु परिवर्तन और उसका भारत पर असर (लेख)	रचना सोनवलकर	17
7.	श्रीनगर की परिवार सहित यात्रा (यात्रा-वृत्तांत)	एच एम टी विजय सिंह	19
8.	एआई के युग में श्रम व्यवस्थाः चुनौतियां और संभावनाएं (लेख)	मोहित कुमार	22
9.	मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता (लेख)	कार्पोरल दिलशाद	26
10.	हम में कोई अनबन नहीं है (कविता)	सोनाली माली	31
11.	वर्तमान परिदृश्य में साइबर सुरक्षा (निबंध)	मृत्युन्जय	32
12.	भारत और विभिन्न देशों की सांस्कृतिक परंपराएं (लेख)	सूबेदार सत्यनारायण शेट्टी	35
13.	समय का महत्व और जीवन की दिशा (लेख)	कमांडर ए एस बिशनोई	37
14.	साइबर सुरक्षा (कविता)	कर्नल भारत भूषण शर्मा	39
15.	हिंदी भाषा और क्षेत्रीय भाषा का संबंध (लेख)	हवलदार योगेश कोलवाडकर	40
16.	अंतर (कविता)	राधिका चावला	41
17.	'भावनात्मक संतोष'- आंतरिक शांति की ओर एक कदम (लेख)	उज्जवल आनंद	43
18.	लोक प्रशासन में नैतिकता की महत्ता : भारतीय योगदान (निबंध)	डमरुधर शर्मा	44
19.	बेटी (कविता)	दिक्षा अक्षय साखरे	50
20.	एक ख्वाबः पाकिस्तान इंटेलीजेंस ऑपरेटिव का प्रहार (कविता)	अकुल गुप्ता	51
21.	समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी.) (लेख)	पुरुषोत्तम ब्यूरा	53
22.	बदलते परिवेश में स्टैण्डर्डस : मानकी समूह के बढ़ते कदम (लेख)	ग्रुप कैप्टन प्रशान्त कुमार	54
23.	कहानी कश्मीर की (लेख)	अश्वनी कुमार	59
24.	साइबर सुरक्षा की चौकी (कविता)	आशीष श्रीवास्तव	61
25.	अर्पण की रोशनी (लेख)	डी. के. उमरेडकर	62
26.	भारतीय हिंदी साहित्य के सागर से एक कहानी: बड़े घर की बेटी	मुंशी प्रेमचन्द	65
27.	भारत सरकार की राजभाषा नीति	राजभाषा अनुभाग	75
28.	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी हिंदी के प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2025-2026 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य	राजभाषा अनुभाग	81
29.	राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे हिंदी भाषा/हिंदी टंकण/ हिंदी आशुलिपि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रोत्साहन योजनाएं	राजभाषा अनुभाग	83

बेटा रावण तो बेटी सीता

श्री जयराम वर्मा
रक्षा मानकीकरण सेल, बदरपुर

संतान प्राप्ति हेतु की घोर तपस्या, प्रभु प्रसन्न हुए
लाला धनी राम के यहां, दो जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए।
मां ने किया दोहरा व्यवहार, बेटे की गरिमा बड़ी रही
बेटे को उठाया गोद में, बेटी जमीन पर पड़ी रही।
एक हमेशा मुस्कुराता था, तो एक के आँसू बहते थे
लड़के का नाम पड़ा सुखिया, तो लड़की को दुखिया कहते थे।

कुछ हुए बड़े जब शिक्षा देने का, मां-बाप का फर्ज हुआ
विद्यालय में एक नाम, सिर्फ लड़के का दर्ज हुआ।
लड़की से उसकी मां बोली, तू मेरा पेट भरेगी क्या?
अपने भाई को पढ़ने दे, तू भला पढ़कर करेगी क्या?
लड़का पढ़-लिख गया, तो उसे नौकरी खास मिली
शादी अपनी मर्जी से की, बीबी एम.ए. पास मिली।

धीरे-धीरे कमजोर हुए, मां-बाप को बुढापा ढला गया
लड़का अपनी पत्नी को लेकर, सर्विस पर चला गया।
बेटी किसके घर रहने वाली, शादी हुई ससुराल गई
मां-बाप अकेले सोच-सोचकर, सूख बदन की खाल गई।
फिर खेल विधाता ने खेला, बूढा तन हो बीमार गया

बुढ़िया की आँखें चली गईं, बूढे को लकवा मार गया।
फंस गया मुसीबत में भारी, लाचार समय से आज हुए
मिल गया पीठ से पेट, भूख से रोटी को मोहताज हुए।
अब नहीं सहारा कोई, कब तक अपने आप जलें दोनों
सोच समझ कर किया फैसला, बेटे के पास चले दोनों।

था सरकारी बंगला, द्वार पर चिकना पर्दा पड़ा हुआ
कुंडी खटकाई द्वार खुला, था सुखिया सामने खड़ा हुआ।
उसने देखा अंधी बुढ़िया, बूढा लंगड़ा लाचारी है
हम कब तक इन्हें खिलाएंगें, ये तो सालों की बीमारी हैं।
बोला मेरे भी बच्चे हैं हम उन्हें ही नहीं खिला पाते हैं
यहां पर रहना तो मुश्किल है, तुमको एक तरकीब बताते हैं।

जो वृद्ध अवस्था में अंधे लंगड़े-लुल्हे हो जाते हैं
वो हाथ में लिए कटोरा, सड़कों पर भीख मांग कर खाते हैं।
बुढ़िया बोली इससे अच्छा, हम मारे-मारे फिरे कहीं
चलकर कटें रेल से साथ-साथ, या संग कुंए में गिरे कहीं।
बूढा बोला मरना ही है तो दो कदम वहां टेकते चलें
मरने से पहले हम अपनी दुखिया को भी देखते चलें।

जाकर देखा बस्ती में, दुखिया पानी भर रही खड़ी
अंधी मां लंगड़े बाप खड़े, जैसे ही उन पर नज़र पड़ी।
पकड़कर ले गई दोनों को, सब गंदे वस्त्र उतरवाए
फिर बड़े प्यार से नहलाया, दोनों को भोजन करवाए।
शाम को उसका पति आया, दोनों में प्रतिवाद हुआ
दुखिया बोली सुनो स्वामी, मेरा भाई अपवाद हुआ।

अब नहीं सहारा कोई, अंधे लंगड़े लाचारे हैं
दो रोटियों के खातिर ही, हमारे पास पधारे हैं।
जो चाहो हमें सजा दे दो, हमने की अगर खता है
आप हैं हमारे परमेश्वर, तो ये हमारे जन्म देवता हैं।
मैं नहीं चाहती हूं, इनके चलते तुम बर्बादी कर लो
अभी नहीं बिगड़ा है कुछ, तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो।

श्रीमान आप सब लायक हैं, बंधन इसलिए तोड़ सकती हूं
मेरे मां-बाप हुए अपंग, मैं इनको नहीं छोड़ सकती हूं।
फिर ले गई अस्पताल उन्हें, मर्जी से स्वयं निकलवा दी
दुखिया ने अपनी एक आंख, अपनी अम्मा को डलवा दी।
मां-बाप का कर्ज हुआ करता, उसकी फर्ज अभी बाकी थी
बूढ़े बाप को चलने के खातिर, लाकर उनको बैसाखी दी।

मिल गई जिन्दगी दोनों को तब मां-बाप ने गुण पहचाने
हमने कितना बड़ा अन्याय किया, लगे बीते दिन याद आने।
बेटे की तुलना में, बेटी की जीवन शैली खोटी थी
बेटे को सारी सुविधाएं दी, बेटी को नहीं भर पेट रोटी दी।
पछताए पछताए मंदिर पहुंचे, जाकर शिव जी के पैर छुए
भगवान माफ कर दो हमको, भावुक थे ज्यादा दुखी हुए

सच्चे मन की श्रद्धा देखी, शिव जी की महिमा डोल उठी
हो गया उजाला कहीं से, आवाज कहीं से बोल उठी।
उठ भक्त दुःखी मत हो ज्यादा, मैं आखिर बुद्धि भरता हूं
हो तो तुम बहुत बड़े पापी, मगर माफ तुम्हें मैं करता हूं।
है सत्य वचन यह, जो करना है सो भरना है
जब जन्म दुबारा मिले, तब काम तुम्हें यह करना है।

उस वक्त अन्याय ज्यादा होगा, कुछ दुष्ट जमीन पर आएंगे
होगा तब भ्रूण परीक्षण भी, कन्या का गर्भ गिराएंगे।
कन्या जगत जननी होती है, उसका अस्तित्व बचाना है
तब जगह-जगह तुझको, पढ़कर यह संदेश सुनाना है।
मैं तो वही अपराधी हूं, पिछला अपराध चुकाता हूं
इसलिए मैं आज बीच मंच से यह कविता सुनाता हूं।

बेटा-बेटी के बीच खुदी इस खाई को पाटो तुम
कन्या का भ्रूण छीनकर, दुनिया की जड़ें न काटो तुम।
बेटी के प्रति अगर दिल में हीन भावना जग जाएगा
जो पाप हमने कभी भोगा है, वही पाप तुम्हें लग जाएगा।
बेटी को जो कम आंकेगा उस बाप की टांगे टूटेंगी
बेटी को जो भेद करे, उस मां की आँखें फूटेंगी।

इसलिए तुम्हें समझाता हूं, बेटी का प्यार न छीनो तुम
वह भी संतान तुम्हारी है, उसका अधिकार न छीनो तुम।
धन-दौलत, सुख-सुविधा, गौरव की परिणिता हो सकती है
बेटा रावण हो सकता है, तो बेटी सीता हो सकती है।

"हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेद-भाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है"

- मदन मोहन मालवीय

सार्जेंट प्रशांत कुमार ठाकुर
रक्षा मानकीकरण सेल, बेंगलूरू

स्कूल स्तर पर वित्तीय नियोजन को मुख्य विषय के रूप में सम्मिलित करना

आज के तेजी से विकसित होते आर्थिक परिदृश्य में वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता पहले कभी इतनी अधिक नहीं रही। फिर भी, इसके महत्त्व के बावजूद वित्तीय नियोजन मानक स्कूली पाठ्यक्रम से काफी हद तक गायब है। स्कूल स्तर पर मुख्य विषय के रूप में वित्तीय नियोजन शुरू करने से अगली पीढ़ी को उचित वित्तीय निर्णय लेने, ऋण कम करने, धन अर्जित करने और एक स्थिर भविष्य सुरक्षित करने के लिए ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाया जा सकता है।

वित्तीय साक्षरता का अंतरः-

अनेक अध्ययनों से पता चलता है कि युवा लोग बजट, बचत, निवेश, ऋण और कर जैसी बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं की सीमित समझ के साथ स्कूल छोड़ते हैं। जैसे-जैसे वे व्यस्क होते हैं, उन्हें जटिल वित्तीय निर्णयों का सामना करना पड़ता है– छात्र ऋण और क्रेडिट कार्ड के उपयोग से लेकर आय का प्रबंधन और सेवानिवृत्ति की योजना बनाना अक्सर आवश्यक उपकरण या मार्गदर्शन के बिना सीमित वित्तीय विकल्पों, ऋण संचय और अपर्याप्त बचत जैसे दीर्घकालिक परिणामों को जन्म दे सकती है।

स्कूलों में वित्तीय नियोजन क्यों पढ़ाया जाना चाहिए?

(क) सभी के लिए जीवन कौशलः- वित्तीय नियोजन केवल वित्त में करियर बनाने वालों के लिए नहीं है। यह एक जीवन कौशल है जो गणित की तरह ही सभी को पढ़ना चाहिए जिससे जीवन में परिपक्वता के साथ आगे बढ़ा जा सके।

(ख) अच्छी आदतों को बनाने हेतु आरंभिक परिचयः- कम उम्र में वित्तीय अवधारणाओं का परिचय स्वस्थ पैसे की आदतें विकसित कर सकता है। जो बच्चे बचत, बुद्धिमानी से खर्च करने और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने के

बारे में सीखते हैं, वे वयस्कता में भी इन व्यवहारों को जारी रखने की अधिक संभावना रखते हैं।

(ग) <u>सामाजिक-आर्थिक अंतर को पाटना</u>:- वित्तीय शिक्षा असमानता को कम करने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के पास अक्सर घर पर वित्तीय ज्ञान तक पहुंच नहीं होती है। स्कूल सभी को यह आवश्यक शिक्षा प्रदान करके खेल के मैदान को समतल कर सकते हैं।

(घ) <u>जिम्मेदार नागरिकता को प्रोत्साहित करना</u>:- वित्तीय रूप से साक्षर नागरिक आर्थिक स्थिरता और विकास में योगदान देने की अधिक संभावना रखते हैं। वे कर्ज के जाल में फंसने के लिए कम प्रवीण होते हैं और व्यवसायों में निवेश करने, घर खरीदने और भविष्य के लिए बचत करने की अधिक संभावना रखते हैं।

(च) <u>मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायता</u>:- वित्तीय तनाव मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। छात्रों को प्रभावी ढंग से धन का प्रबंधन करना सिखाने से उनकी चिंता कम हो सकती है और उन्हें अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण महसूस करने में मदद मिल सकती है।

<u>पाठ्यक्रम में क्या शामिल होना चाहिए?</u>

एक पूर्ण वित्तीय नियोजन पाठ्यक्रम आयु के अनुसार उपयुक्त होना चाहिए और धीरे धीरे जटिलता में वृद्धि होनी चाहिए। मुख्य विषयों में निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित किया जा सकता हैः

(क) <u>प्राथमिक स्तरः</u> जरूरतों बनाम इच्छाओं को समझना, पैसे की अवधारणा, बुनियादी बचत की आदतें इत्यादि।

(ख) <u>माध्यमिक स्तरः</u> बजट बनाना, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से परिचय इत्यादि।

(ग) <u>हाई स्कूलः</u> आय और कर, ऋण और ऋण प्रबंधन, निवेश की मूल बातें, बीमा, सेवानिवृत्ति योजना और वास्तविक दुनिया के सिमुलेशन इत्यादि।

स्कूलों में वित्तीय नियोजन को लागू करना:-

इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शिक्षकों, नीति निर्माताओं, वित्तीय विशेषज्ञों और पाठ्यक्रम डेवलपर्स के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। शिक्षकों को इस विषय को आत्मविश्वास से पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना और इंटरेक्टिव शिक्षण उपकरणों तक पहुंच प्रदान करना इसके प्रभाव को काफी हद तक बढ़ा सकता है। वित्तीय संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी भी संसाधनों और वास्तविक दुनिया को समझने के अवसर प्रदान कर सकती है।

निष्कर्ष:- विद्यालय में वित्तीय नियोजन को एक विषय के रूप में शामिल करना न केवल एक प्रगतिशील शैक्षिक सुधार है, यह वित्तीय रूप से लचीला समाज बनाने की दिशा में भी एक आवश्यक कदम है। छात्रों के पैसे को समझदारी से प्रबंधित करने के लिए उपकरण प्रदान करके विद्यालय वित्तीय रूप से जिम्मेदार, आत्मविश्वासी और स्वतंत्र व्यक्तियों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तेजी से जटिल होती वित्तीय दुनिया में ज्ञान वास्तव में शक्ति है।

आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत, असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है।

- डॉ एपीजे अब्दुल कलाम

धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद- एक वैश्विक चुनौती

सचिन ढवले, वैज्ञानिक सहायक
रक्षा मानकीकरण सेल, पुणे

आज की दुनिया में आतंकवाद एक गंभीर समस्या बन चुका है जो मानवता और शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवाद के कई कारण हैं लेकिन धार्मिक कट्टरता इसका एक प्रमुख और खतरनाक कारण है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ हमला है। जब कोई धर्म का अनुयायी अपने मत को सर्वोच्च मानकर दूसरों के विचारों और आस्थाओं को अस्वीकार करता है और हिंसा का सहारा लेता है तो वह धार्मिक कट्टरता कहलाती है। यही कट्टरता जब संगठित और हिंसक रूप ले लेती है तो वह आंतकवाद का रूप धारण कर लेती है।

धार्मिक कट्टरता का इतिहास बहुत पुराना है लेकिन आधुनिक युग में इसका स्वरूप ओर प्रभाव अत्यंत व्यापक हो गया है। आतंकवादी संगठन अक्सर धार्मिक भावनाओं का दुरूपयोग कर लोगों को भड़काते हैं और उन्हें चरमपंथी विचारधारा की ओर आकर्षित करते हैं। धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा ने न केवल लाखों निर्दोष लोगों की जान ली है बल्कि देशों की आंतरिक शांति, निकाय ओर सामाजिक ताने-बाने को भी नुकसान पहुंचाया है।

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में भी धार्मिक कट्टरता समय-समय पर सिर उठाती रही है। हालांकि, भारत की संवैधानिक व्यवस्था धर्मनिरपेक्षता को प्राथमिकता देती है लेकिन कुछ ताकतें दिमाग में नफरत फैलाने का प्रयास करती हैं। इनसे निपटने के लिए केवल कानूनी उपाय ही नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता और आपसी सौहार्द भी जरूरी है।

धार्मिक कट्टरता से उत्पन्न आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सभी धर्मों के अनुयायियों को समझना होगा कि कोई भी धर्म हिंसा की शिक्षा नहीं देता। सभी धर्म शांति, प्रेम ओर भाई-चारे का संदेश देते हैं। अतः हमें एकजुट होकर ऐसी कट्टर सोच के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और एक सहिष्णु समाज की स्थापना करनी चाहिए।

धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद दोनों ही समाज के लिए जहर हैं। इनसे लड़ने के लिए शिक्षा, जागरूकता और अंतर-धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना आवश्यक है तभी हम एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित भविष्य की कल्पना कर सकते हैं।

राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को समाहित करते हुए 'हिंदी शब्द सिंधु' नामक हिंदी से हिंदी बृहत शब्दकोष का निर्माण एक अनूठी पहल है। माननीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी से हिंदी डिजिटल शब्द कोष 'हिंदी शब्द सिंधु' निर्माण की परियोजना माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की प्रेरणा से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। इसमें स्वास्थ्य, तकनीक, मीडिया, विधि आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के शब्दों को भी शामिल किया गया है। इस डिजिटल शब्दकोष से हिंदी के तकनीकी सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके पहले संस्करण का लोकार्पण गृह मंत्री जी ने सूरत के द्वितीय अखिल भारतीय सम्मेलन के अवसर पर किया था। तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में हिंदी शब्द सिंधु के दूसरे संस्करण (3,51,000 शब्द) का लोकार्पण किया गया। चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने इसे वर्ष 2029 तक विश्व का सबसे बड़ा, अद्यतन और समावेशी कोश बनाने का लक्ष्य रखा है।

वेबलिंक: https://hindishabdsindhu.rajbhasha.gov.in/

हिंदीः हमारी पहचान और गौरव

मयंक, सहायक अनुभाग अधिकारी
रक्षा मानकीकरण सेल, जबलपुर

भारत विविधताओं का देश है और इस देश की अनेकता में एकता का सूत्र हिंदी भाषा है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारे समाज, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का आधार है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमारे विचारों, भावनाओं और परंपराओं को अभिव्यक्त करने का सबसे सरल और सशक्त माध्यम है।

❖ हिंदी का इतिहास और महत्त्व

हिंदी का उद्भव संस्कृत से हुआ है और यह देववाणी का सरल रूप मानी जाती है। आज हिंदी न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में बोली और समझी जाती है। 14 सितम्बर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला जिसे हर साल 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

❖ सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव

हिंदी हमारी संस्कृति का जीवंत प्रतिबिंब है। यह भाषा कविताओं, कहानियों, लोकगीतों और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से भारतीय समाज को समृद्ध बनाती है। हिंदी का साहित्य जैसे प्रेमचंद की कहानियां, तुलसीदास की 'रामचरितमानस' और महादेवी वर्मा की कविताएं विश्व साहित्य के लिए एक अनमोल खजाना हैं।

❖ आधुनिक युग में हिंदी का योगदान

वैश्वीकरण के इस दौर में हिंदी ने तकनीकी और डिजिटल दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई है। आज हिंदी में सैकड़ों समाचार चैनल, ऑनलाइन सामग्री और मोबाइल एप्लिकेशन उपलब्ध हैं। हिंदी फिल्मों और संगीत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है।

❖ हिंदी के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता

हिंदी की अपनी समृद्धि और पहचान बनाए रखने के लिए इसे और अधिक बढ़ावा देना आवश्यक है। विद्यालयों और उच्च शिक्षा में हिंदी को प्रोत्साहित किया

जाना चाहिए। साथ ही नई पीढ़ी के लिए हिंदी मे रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम विकसित करने चाहिए।

हिंदी केवल एक भाषा नहीं, यह हमारी आत्मा और हमारी पहचान है। यह हमें हमारे इतिहास और संस्कृति से जोड़ती है और हमें एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा करती है। हिंदी को अपनाना और इसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है।

आइए, हम सभी मिलकर हिंदी को उसका स्थान दिलाने का संकल्प लें। यही हमारी संस्कृति और राष्ट्र की सच्ची सेवा होगी।

"हमें प्रयत्नपूर्वक हिंदुस्तान की सभी बोलियों व भाषाओं में जो उत्तम चीजें हैं, उन्हें हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए उसका हिस्सा बनाना चाहिए और यह प्रक्रिया अविरल चलती रहनी चाहिए।"

- नरेन्द्र मोदी

i-GOT कर्मयोगीः एक परिचय

सौरभ शुक्ला, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
मानकीकरण निदेशालय

i-GOT कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत शुरू किया गया एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है, जिसका उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों के कौशल और दक्षता को बढ़ाना है। यह मंच वैश्विक संस्थानों द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रमों के माध्यम से निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करता है तथा विभिन्न सरकारी स्तरों पर व्यावसायिक विकास और योग्यता विकास की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जिससे अंततः प्रशासन और सरकारी सेवकों की दक्षता में सुधार होता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भविष्यदर्शी सोच से जनित यह पहल देश भर में व्यक्तिगत और संगठनात्मक, दोनों स्तरों पर सिविल सेवकों के कौशल और क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित है।

iGOT कर्मयोगी एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है जिसे भारतीय मूल्यों को गहराई से समझने वाले कुशल सिविल सेवकों को विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की प्राथमिकताओं के अनुरूप उनके प्रयासों को संरेखित करना और एक सुचारू, प्रभावी लोक सेवा सुनिश्चित करना है।

iGOT कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म "नियम-आधारित" (Rules Based) से लेकर "भूमिका-आधारित" (Role Based) प्रशासन पर केंद्रित है और इसके अंतर्गत सरकारी कार्मिकों हेतु चुनने के लिए 6 शिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान किए गए हैं। इसका लक्ष्य भारतीय लोगों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए एक अधिक कुशल और उत्तरदायी सरकार बनाना है।

<u>i-GOT कर्मयोगी विजन, मिशन और प्रमुख कार्यः-</u>

- **<u>विजनः</u>** इसका उद्देश्य एक ऐसी सुधारित सिविल सेवा का निर्माण करना है जो चुस्त, उत्तरदायी और उच्च-गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो और जो प्रधानमंत्री मोदी जी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप हो।

- **<u>मिशनः</u>** यह मिशन प्रशिक्षण को लोकतांत्रिक बनाने, निरंतर सीखने को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण को 'नियम-आधारित' से 'भूमिका-आधारित' की ओर स्थानांतरित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य एक ऐसी सक्षमता संचालित दृष्टिकोण की स्थापना है जिसमें सीखने की प्रक्रिया को संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ एकीकृत किया जा सकें।
- **<u>प्रमुख कार्यः-</u>**

✓ **<u>क्षमता निर्माण</u>:** यह सिविल सेवकों के लिए क्यूरेटेड पाठ्यक्रमों (Curated Courses) के माध्यम से अपने कौशल को बढ़ाने के लिए एक व्यापक (आवश्यकता आधारित) मंच प्रदान करता है।

✓ **<u>प्रदर्शन की निगरानी</u>:** यह प्रशिक्षण के प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (Performance Indicators) के आधार पर उपयोगकर्ताओं का मूल्यांकन करता है।

✓ **<u>पाठ्य सामग्री</u>:** यह भारतीय आवश्यकताओं के अनुरुप प्रशिक्षण सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है जिसे विश्व की सर्वोत्तम शिक्षा पद्धतियों से ग्रहण किया गया है।

✓ **<u>सामुदायिक जुड़ाव</u>:** यह सहयोग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए उपयोगकर्ताओं के बीच चर्चा और नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करता है।

✓ **<u>पहुँच</u>:** यह उपयोगकर्ताओं को मोबाइल और वेब प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से विविध शिक्षण शैलियों को समायोजित करते हुए कभी भी, कहीं भी सीखने में सक्षम बनाता है।

<u>i-GOT कर्मयोगी की प्रमुख विशेषताएः-</u>

भारतीय सिविल सेवकों की क्षमता और कौशल को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई एक व्यापक ऑनलाइन प्रशिक्षण पहल के रुप में i-GOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैः-

- **<u>कार्यात्मक केंद्र</u>:** यह प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन शिक्षण, योग्यता प्रबंधन, करियर प्रबंधन, चर्चाओं और नेटवर्किंग के लिए विभिन्न मंचों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है, जिससे विविध एवं विस्तृत प्रशिक्षण अनुभव प्राप्त होते हैं।

- **<u>व्यक्तिपरक शिक्षणः</u>** इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध My iGot सुविधा के अंतर्गत व्यक्ति की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे आवश्यकता केंद्रित शिक्षण संभव होता है।
- **<u>मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम:</u>** यह पारंपरिक क्लास रुम प्रशिक्षण को ऑनलाइन घटकों के साथ जोड़ता है, जिससे आमने-सामने की बातचीत को बनाए रखते हुए लचीलापन मिलता है।
- **<u>क्यूरेटेड (आवश्यकता आधारित) प्रशिक्षण सामग्री:</u>** यह शीर्ष संस्थानों से क्यूरेटेड उच्च-गुणवत्ता वाली ई-लर्निंग सामग्री के लिए एक बाज़ार प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उपलब्ध सामग्री विभिन्न सरकारी मंत्रालयों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करे।
- **<u>प्रदर्शन निगरानी:</u>** यहां उपयोगकर्ताओं का मूल्यांकन प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर किया जाता है, जिससे प्रगति और दक्षताओं की प्रभावी ट्रैकिंग (निगरानी) संभव होती है।
- **<u>सुगमता:</u>** यह प्लेटफ़ॉर्म किसी भी समय, कहीं भी सीखने की सुविधा प्रदान करता है, यह विभिन्न उपकरणों पर लगभग 2 करोड़ उपयोगकर्ताओं को समायोजित करता है, जिससे पारंपरिक तरीकों से परे सीखने के अवसरों में वृद्धि होती है।

<u>i-GOT कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों के प्रकारः-</u>

i-GOT कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म पर 1424 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध है। उपलब्ध पाठ्यक्रमों के मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं:

- **<u>ई-लर्निंग पाठ्यक्रम:</u>** सिविल सेवकों की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यात्मक, व्यवहारिक और डोमेन-विशिष्ट प्रशिक्षण को कवर करने वाले 830 से अधिक उच्च-गुणवत्ता वाले ई-लर्निंग पाठ्यक्रम।
- **<u>मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम:</u>** ये पारंपरिक क्लास रुम प्रशिक्षण को ऑनलाइन घटकों के साथ एकीकृत करते हैं, जिससे आमने-सामने की बातचीत को

बनाए रखते हुए लचीले शिक्षण की अनुमति मिलती है। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण VIKAS कार्यक्रम है।

- **क्यूरेटेड कार्यक्रम:** विशिष्ट क्षमता-निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए i-GOT रिपॉजिटरी के संसाधनों का उपयोग करते हुए, अलग-अलग मंत्रालयों या प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा तैयार किए गए आवश्यकता आधारित शिक्षण पाठ्यक्रम।
- **डोमेन-विशिष्ट पाठ्यक्रम:** विभिन्न सरकारी भूमिकाओं के लिए आवश्यक विशिष्ट दक्षताओं पर केंद्रित हाल ही में शुरू किए गए पाठ्यक्रम जो वार्षिक क्षमता निर्माण योजना के भाग के रूप में विकसित किए गए हैं।
- **योग्यता-आधारित प्रशिक्षण:** भूमिकाओं, गतिविधियों और योग्यताओं के ढांचे के साथ संरेखित पाठ्यक्रम जो यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशिक्षण सरकारी संगठनों के भीतर व्यक्तिगत पदों के लिए भी प्रासंगिक हों।

iGOT कर्मयोगी पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन आवश्यकताएं-

- **सरकारी संबद्धता:** उपयोगकर्ता सरकारी कार्मिक होने चाहिए, क्योंकि यह प्लेटफ़ॉर्म मुख्य रूप से विभिन्न स्तरों के सिविल सेवकों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **बुनियादी डिजिटल साक्षरता:** ऑनलाइन शिक्षण के तौर-तरीकों से परिचित होना और बुनियादी कंप्यूटर कौशल, प्लेटफ़ॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए लाभदायक हैं।
- **पंजीकरण:** पाठ्यक्रमों तक पहुँचने के लिए उपयोगकर्ताओं को i-GOT कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- **पाठ्यक्रम-विशिष्ट आवश्यकताएँ:** कुछ उन्नत या विशिष्ट पाठ्यक्रमों में किसी विशेष क्षेत्र में पूर्व ज्ञान या अनुभव से संबंधित विशिष्ट पूर्वापेक्षाएँ हो सकती हैं, लेकिन इनका उल्लेख आमतौर पर पाठ्यक्रम विवरण में किया जाता है।

ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण कैसे करेः-

- **वेबसाइट पर जाएं:** अपना वेब ब्राउज़र खोलें और iGOT कर्मयोगी पर जाएं।

- **<u>पंजीकरण बटन पर क्लिक करें:</u>** होमपेज के ऊपरी दाएँ कोने में पीले रंग का "रजिस्टर" बटन ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
- **<u>अपना विवरण भरें:</u>** अपना पूरा नाम दर्ज करें, उपलब्ध विकल्पों में से अपना समूह चुनें, और अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रदान करें।
- **<u>अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करें:</u>** अपने मोबाइल पर वन-टाइम पासवर्ड प्राप्त करने के लिए "Send OTP" पर क्लिक करें। अपना नंबर सत्यापित करने के लिए OTP दर्ज करें।
- **<u>अपना संगठन चुनें:</u>** चुनें कि आप किसी केंद्रीय या राज्य संगठन से संबद्ध हैं और अपने संगठन का नाम दर्ज करें।
- **<u>शर्तों से सहमत हों:</u>** i-GOT कर्मयोगी की सेवा की शर्तों से सहमत होने के लिए बॉक्स पर निशान लगाएं।
- **<u>पंजीकरण पूरा करें:</u>** अपने पंजीकरण को अंतिम रूप देने के लिए "साइन अप" पर क्लिक करें।
- **<u>लॉग इन करें:</u>** पंजीकरण के बाद, होमपेज पर वापस लौटें, "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें, और प्लेटफ़ॉर्म तक पहुंचने के लिए अपनी जानकारी दर्ज करें।

i-GOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता मुफ़्त और किफ़ायती पाठ्यक्रमों का मिश्रण पा सकते हैं। इग्नू और हार्वर्ड जैसे संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध हैं, जिन्हें पंजीकरण के तुरंत बाद एक्सेस किया जा सकता है। हालांकि, निजी प्रदाताओं द्वारा या विशिष्ट विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कुछ पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग शुल्क भी हो सकते हैं।

वर्तमान परिपेक्ष्य में सरकारी कार्मिकों के लिए सेवाकाल में सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए i-GOT कर्मयोगी एक सुलभ और सुगम मंच के रुप में लोकप्रिय हो रहा है; आइए हम भी इस पर पंजीकरण कर कुछ नया और प्रासंगिक सीखने का लाभ उठाएं।

जलवायु परिवर्तन और उसका भारत पर असर

रचना सोनवलकर, एस.एस.ए.
रक्षा मानकीकरण सेल, पुणे

परिचय

आज पूरी दुनिया एक बड़ी परेशानी का सामना कर रही है जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन। इसका मतलब है मौसम में धीरे-धीरे बदलाव आना, जैसे गर्मी बढ़ना, बारिश का समय बदलना और बेमौसम तूफान आना।

जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है?

यह समस्या इंसानों की गलत आदतों की वजह से हो रही है। ज्यादा फैक्ट्रियां, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, पेड़ों की कटाई और कोयला, तेल जैसे ईंधनों का इस्तेमाल हमारे वातावरण को खराब कर रहा है। इससे धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है।

भारत पर असरः

भारत एक ऐसा देश है जहां ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर हैं। जब मौसम सही नहीं होता तो फसलें खराब हो जाती हैं। कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कभी सूखा पड़ता है। गर्मी बहुत बढ़ जाती है जिससे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। समुंदर का पानी बढ़ने से तटीय इलाके जैसे मुंबई और चेन्नई को खतरा है।

हम क्या कर सकते हैं?

- ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पेड़ ना काटें।
- बिजली बचाएं और सूरज की रोशनी से चलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें।
- गाड़ियों की बजाय साइकिल या सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करें।
- बच्चों और बड़ों को इस बारे में जागरूक करें।

जलवायु परिवर्तन को रोकना हमारे हाथ में है। अगर हम आज से ही सावधानी बरतें तो आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित और सुंदर दुनिया में रह सकेंगी।

"आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।"

- महावीर प्रसाद द्विवेदी

श्रीनगर की परिवार सहित यात्रा

एच एम टी विजय सिंह
रक्षा मानकीकरण सेल, बेंगलूरू

बहते पानी की आवाज़, देवदार के पेड़ों की सुगंध, केसर की चमक, अज़ान की आवाज़ और एक अथाह पुकार के साथ, कश्मीर हर किसी को आश्चर्यचकित करता है। जब आप एक बार कश्मीर की खूबसूरती देखते हैं तो हर दूसरी खूबसूरती आपके मन से गायब हो जाती है या कम लगती है। घाटी, पहाड़ और नदी इस भूमि की हर मोड़ पर खूबसूरती को बढ़ाती है और नए आश्चर्यों को सामने लाती है।

कुछ यात्राएं केवल स्थानों तक सीमित नहीं होतीं, वे यादों में बस जाती हैं। ऐसी ही एक अविस्मरणीय पारिवारिक यात्रा हमने जम्मू-कश्मीर की वादियों में की जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। इस गर्मी की छुट्टियों में मैंने अपने परिवार के साथ इस जगह की यात्रा की। यह स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे सुंदर और यादगार यात्राओं में से एक रही। प्रकृति की गोद में बसा यह शहर, अपनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों, झीलों और खूबसूरत बागों के लिए प्रसिद्ध है।

हमने दिल्ली से जम्मू की ट्रेन पकड़ी। जम्मू से आगे की यात्रा के लिए हमने एक कार किराये पर ली। रास्ते में खिड़की से बाहर झांकते ही चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों का दृश्य बहुत ही अद्वभुत लग रहा था। जैसे ही हम श्रीनगर में दाखिल हुए, ठंडी हवा ने हमारा स्वागत किया।

यात्रा के पहले दिन हमने डल झील में शिकारे की सवारी की। यह अनुभव अविस्मरणीय था। झील के बीच में रंग-बिरंगे शिकारे और हाउसबोट तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। हमने एक हाउसबोट में रात गुजारी, यह अनुभव बिल्कुल एक सपने जैसा था। हमने सुबह की चाय हाउसबोट की बालकनी में पी। शांत झील, उड़ते पक्षी और ठंडी हवा ने इस सुबह को विशेष बना दिया।

अगले दिन हम निशात बाग, शालीमार बाग और मुगल गार्डन घूमे। ये बाग इतने सुंदर और हरे-भरे थे कि वहां घंटों बैठने का मन करता रहा। फूलों की खुशबू और झरनों की आवाज़ वातावरण को और भी सुखद बना रही थी।

फिर अगले दिन हम गुलमर्ग गए जहां हमने बर्फ में खूब मस्ती की। मेरी बहन और मैंने स्नोमैन बनाए और स्नोफॉल का मज़ा लिया। वहां की केबल कार (गोंडोला) की सवारी ने पूरे इलाके का विहंगम दृश्य दिखाया। सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था और बहुत ही मनमोहक लग रहा था।

चौथे दिन हमने श्रीनगर के बाज़ारों में घूमना तय किया। हमने पशमीना शॉल, कश्मीरी कपड़े, केसर और सूखे मेवे खरीदे। वहां 'कहवा' नामक खास चाय पी जिसमें दालचीनी, केसर और बादाम थे। दोपहर को हमने पारंपरिक कश्मीरी खाने का स्वाद लिया। यह दिन बहुत से सांस्कृतिक और स्वादिष्ट अनुभवों से भरा रहा। खरीदारी के लिए हम श्रीनगर के स्थानीय बाज़ार भी गए जहां हमने पशमीना शॉल, कश्मीरी कढ़ाई वाले कपड़े, अखरोट, अंजीर और केसर की कई दुकानें देखीं।

श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर दूर पहलगाम एक स्वर्ग सा सुन्दर स्थल है जहां हमने यात्रा के आखिरी दिन झेलम नदी और सेब के बाग देखे। यहां हमने बेताब वैली और अरु वैली की यात्रा की। देवदार के ऊंचे-ऊंचे वृक्षों से घिरा हुआ यह स्थान बच्चों के लिए एक खुला प्राकृतिक खेल का मैदान था। घुड़सवारी और नदी किनारे पिकनिक का मज़ा पूरे परिवार ने उठाया।

यह यात्रा केवल एक पर्यटन नहीं थी बल्कि प्रकृति से जुड़ने और परिवार के साथ यादगार पल बिताने का एक सुन्दर अवसर भी था। श्रीनगर की प्राकृतिक सुंदरता और वहां के लोगों की आत्मीयता ने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली है। यह पारिवारिक यात्रा न केवल एक पर्यटन स्थल की खोज थी बल्कि एक-दूसरे के साथ बिताया गया अनमोल समय भी था।

जम्मू-कश्मीर की वादियां, झरने, वहां की संस्कृति, मौसम और लोगों की मेहमान-नवाजी ने हमें जीवन भर की यादें दीं। यह यात्रा हमारे दिलों में हमेशा बसी रहेगी।

"गर फिरदौस बर रूए ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो" अर्थात, **"अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है"।** यह प्रसिद्ध वाक्यांश कश्मीर के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इसकी प्राकृतिक सुंदरता, खानपान और संस्कृति इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। अंत में, अगर कभी मौका मिले तो जीवन में एक बार कश्मीर अवश्य जाना चाहिए। यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं।

"हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और दृढ़ करती है"

- पुरुषोत्तम दास टंडन

ए आई के युग में श्रम व्यवस्थाः चुनौतियां और संभावनाएं

मोहित कुमार, वैयक्तिक सहायक
मानकीकरण निदेशालय

भारत में कॉल सेंटर उद्योग में जहां कभी लाखों लोग काम करते थे, वहां अब चैटबॉट्स और एआई असिस्टेंट्स का अधिपत्य बढ़ रहा है. यह बदलाव केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में श्रम व्यवस्था का चेहरा बदल रहा है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांतियों में से एक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) जिस तरह औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन और श्रम व्यवस्था को बदला था, उसी तरह एआई भी कामकाजी दुनिया के स्वरूप को गहराई से प्रभावित कर रही है। मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और जेनेरेटिव एआई जैसे टूल न केवल उद्योगों की उत्पादकता बढ़ा रहे हैं बल्कि रोजगार के तरीकों, श्रमिकों की मांग और कौशल की जरूरतों को भी नया रूप दे रहे हैं। जैसे किः-

1. **<u>पारंपरिक श्रम व्यवस्था में बदलाव</u>**

डाटा एंट्री, अकाउंटिंग और ग्राहक सेवा जैसे दोहराए जाने वाले कार्य तेजी से चैटबॉट्स और ऑटोमेशन के हवाले हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में रोबोटिक्स के बढ़ते इस्तेमाल से कम-कौशल वाले श्रमिकों की मांग घटी है। वहीं साइंस, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे उच्च कौशल वाले क्षेत्रों में नए अवसर उभर रहे हैं।

2. **<u>रोजगार पर असर</u>**

विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, एआई और ऑटेमेशन 2030 तक लाखों पारंपरिक नौकरियां खत्म कर देंगे लेकिन साथ ही नए प्रकार के रोजगार भी पैदा करेंगे। बैंकिंग में काउंटर जॉब्स घट रही हैं जबकि डिजिटल विशेषज्ञों की मांग बढ़ी है। पत्रकारिता और कटेंट सेक्टर में रूटीन रिपोर्टिंग एआई कर सकता है परन्तु खोजी पत्रकारिता और रचनात्मक लेखन की भूमिका और अहम हो गई है।

भारत में विशेष उदाहरण

आईटी क्षेत्रः- टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां पारंपरिक कोडिंग नौकरियों की जगह एआई सेवाओं पर जोर दे रही हैं।

कॉल सेंटरः- बीपीओ सेक्टर जिसने लाखों युवाओं को रोजगार दिया था अब चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंटस के कारण सिकुड़ रहा है।

कृषिः- ड्रोन और एआई-आधारित मौसम पूर्वानुमान खेती आसान बना रहे हैं जिससे नए "एग्री-टेक वर्कस" की मांग पैदा होगी।

वैश्विक उदाहरण

अमेरिका और यूरोप में अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने बड़े पैमाने पर एआई आधारित भर्ती और डेटा कार्यों को मशीनों पर शिफ्ट कर दिया है। चीन में ए आई निगरानी सिस्टम और रोबोटिक्स ने फैक्ट्री वर्क को बदल डाला है। अफ्रीका में एआई आधारित मोबाइल सेवाएं किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए नए अवसर खोल रही हैं।

3. **<u>एआई एवं वर्तमान आवश्यकता</u>**

- **डिजिटल कौशलः** डेटा एनालिटिक्स, एआई टूल्स, साइबर सिक्योरिटी।
- **सॉफ्ट स्किल्सः** रचनात्मक, आलोचनात्मक सोच और नैतिक निर्णय क्षमता।
- **मानव-केंद्रित भूमिकाएं:** शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कार्य जहां सहानुभूति और मानवीय स्पर्श की जगह तकनीक नहीं ले सकती।

4. **<u>अवसरों का विस्तार</u>**

- **फार्मा और हेल्थकेयरः** कोविड-19 के दौरान एआई आधारित डायग्नोस्टिक्स टूल्स ने रोग पहचान को आसान किया। अब भारत की दवा कंपनियां रिसर्च में एआई का उपयोग कर रही हैं।
- **फिनटेक सेक्टरः** पेटीएम और फोनपे एआई से फ्रॉड डिटेक्शन कर रहे हैं जिससे साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों की मांग बढ़ रही है।
- **क्रिएटिव सेक्टरः** फिल्मों, गेमिंग और एडिटिंग में एआई का व्यापक प्रयोग हो रहा है परंतु मौलिक कहानियां और विचार अभी भी इंसानों पर निर्भर हैं।

- **गिग इकॉनमी और रिमोट वर्कः** एआई ने वैश्विक स्तर पर काम के अवसरों को और अधिक सुलभ बना दिया हैं।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

यूरोप संघ (EU) एआई के नैतिक उपयोग के लिए सख्त कानून ला रहा है जिससे कंपनियों को नई नौकरियों के लिए दिशा मिल रही है। अमेरिका में एआई स्टार्टअप्स में भारी निवेश से लाखों नए रोजगार बन रहे हैं। जापान और दक्षिण कोरिया एआई-रोबोटिक्स को "एजिंग सोसाइटी" की समस्या से निपटने के समाधान के रूप में देख रहे हैं।

5. **चुनौतियां**

- **नौकरी असमानताः** शहरी, कौशल वाले युवाओं को लाभ होगा लेकिन ग्रामीण और कम पढ़े-लिखे श्रमिक पीछे छूट सकते हैं।
- **नैतिक प्रश्नः** सर्विलांस, डेटा गोपनीयता और एल्गोरिदमिक पक्षपात बड़ी चिंताएं हैं।
- **सामाजिक सुरक्षाः** लाखों नौकरियां मशीनों से प्रभावित होगी तो श्रमिकों की न्यूनतम आय और सुरक्षा सुनिश्चित करना कठिन होगा।

6. **भारत की विशेष स्थिति**

भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा कार्यबल है यदि सरकार और उद्योग मिलकर युवाओं को री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग के अवसर दें तो भारत वैश्विक एआई अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया और एआई एक्सीलेंस केंद्र जैसी पहलें सही दिशा में कदम हैं लेकिन इन्हें अधिक प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। भारत के पास स्टार्टअप इकोसिस्टम (जैसे बेंगलूरू और हैदराबाद) है जो एआई आधारित समाधान बनाकर वैश्विक मार्केट में भारत की स्थिति को मजबूत कर सकता हैं।

निष्कर्ष

एआई का युग श्रम व्यवस्था के लिए दोधारी तलवार है। एक ओर यह उत्पादन और दक्षता को नई ऊंचाई तक ले जा रहा है तो दूसरी ओर यह पांरपरिक नौकरियों को चुनौती भी दे रहा हैं। चैट जीपीटी जैसे टूल्स, टेस्ला की सेल्फ-ड्राइविंग कारें, अमेजन के वेयरहाउस रोबोट और भारतीय आईटी कंपनियों की नई एआई सेवाएं इस बदलाव की गवाही देती हैं। भारत और दुनिया के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि समय रहते श्रमिकों को नए कौशलों से लैस किया जाए, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाया जाए और एआई को ऐसा औज़ार बनाया जाए जो मानव क्षमता को प्रतिस्थापित न करे बल्कि उसे और अधिक सशक्त बनाए।

"वही भाषा जीवित और जागृत रह सकती है जो जनता का ठीक-ठाक प्रतिनिधित्व कर सके और हिंदी इसमें समर्थ है।"

- पीर मुहम्मद यूनिस

मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता

कार्पोरल दिलशाद
रक्षा मानकीकरण सेल, बेंगलूरू

मानसिक स्वास्थ्य क्या है?

मानव जीवन में मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। एक संतुलित और खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के लिए जो अपने सीखने और विकास के महत्त्वपूर्ण चरणों में होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल अत्यंत आवश्यक हो जाती है।

विद्यालय केवल शिक्षा का केन्द्र नहीं होते बल्कि यह बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल के विकास में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे- परीक्षा का दबाव, प्रतिस्पर्धा, सहपाठियों के साथ संबंध, पारिवारिक अपेक्षाएं और सामाजिक जीवन के तनाव। इन सबका गहरा प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। यदि इन चुनौतियों का सही समाधान नहीं निकाला गया तो विद्यार्थी तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याओं का शिकार हो सकते हैं।

शारीरिक स्वास्थ्य की तरह मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल भी दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश, समाज में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को अब भी गंभीरता से नहीं लिया जाता और इसे एक सामान्य चर्चा का विषय नहीं बनाया जाता। इस कारण, कई विद्यार्थी अपनी समस्याओं को दूसरों से साझा करने में झिझकते हैं और मानसिक तनाव को अकेले झेलते हैं। यदि स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर खुलकर चर्चा की जाए और इससे संबंधित आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं तो विद्यार्थी मानसिक रूप से अधिक मजबूत बन सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता की आवश्यकताः

विद्यालय शिक्षा का वह केन्द्र है जहां बच्चों का बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास होता है। लेकिन वर्तमान में प्रतिस्पर्धा, परीक्षा का दबाव, सहपाठियों से तुलना, पारिवारिक समस्याएं और अन्य सामाजिक दबाव विद्यार्थी के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता से विद्यार्थियों को यह समझने में मदद मिलती है कि मानसिक समस्याएं किसी के भी जीवन में आ सकती हैं और इनका समाधान संभव है। इस विषय पर निम्नलिखित समस्याओं पर ध्यान देने एवं जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

(क) **परीक्षा और शैक्षिक दबाव**- विद्यार्थी अक्सर उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव में मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। यह तनाव कभी-कभी अवसाद और चिंता में बदल सकता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में परीक्षा और प्रतिस्पर्धा को अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है जिससे विद्यार्थी मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं।

(ख) सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं- कुछ विद्यार्थी पारिवारिक समस्याओं, जैसे माता-पिता के बीच मतभेद, आर्थिक तंगी या अन्य सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हैं जो मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।

(ग) साइबर बुलिंग और सामाजिक तुलना- आधुनिक डिजिटल युग में सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के कारण बच्चे साइबर बुलिंग और आत्मसम्मान की कमी जैसी समस्याओं से जूझते हैं।

(घ) आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं- हाल के वर्षों में देखा गया है कि विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।

<u>मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लाभः</u>-

मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता विद्यार्थियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। जब विद्यार्थी मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो वे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने से निम्नलिखित सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं-

(क) <u>अच्छा आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण</u>- मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं।

(ख) <u>शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन</u>- मानसिक रूप से स्वस्थ विद्यार्थी पढ़ाई में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और उनकी एकाग्रता भी बनी रहती है। जब दिमाग तनावमुक्त होता है तो सीखने की क्षमता भी बढ़ जाती है।

(ग) <u>बेहतर सामाजिक संबंध</u>- मानसिक रूप से संतुलित विद्यार्थी अपने सहपाठियों, शिक्षकों और परिवार के सदस्यों से बेहतर संबंध बना सकते हैं। सामाजिक समर्थन मिलने से मानसिक स्वास्थ्य भी मजबूत होता है।

(घ) <u>तनाव और चिंता को कम करना</u>- मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को तनाव को नियंत्रित करने के सही तरीके सीखने में मदद मिलती है।

(च) <u>आत्महत्या और अवसाद की रोकथाम</u>- मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने से गंभीर मानसिक समस्याओं को पहले ही पहचाना जा सकता है और उचित उपचार उपलब्ध कराया जा सकता है। जिससे आत्महत्या जैसी दुर्घटना को रोका जा सकता है।

<u>स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के उपायः</u>-

मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने के लिए कई प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं-

(क) <u>मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना</u>- विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करने के लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। तनाव प्रबंधन, आत्म-सम्मान निर्माण और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने वाली कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए।

(ख) <u>स्कूलों में परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना</u>- हर स्कूल में एक प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता (काउंसलर) की नियुक्ति होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी अपनी समस्याएं साझा कर सकें। शिक्षकों को भी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति को समझ सकें।

(ग) <u>अभिभावकों की भागीदारी</u>- माता-पिता को भी मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे अपने बच्चों की भावनात्मक जरूरतों को समझ सकें। नियमित रूप से माता-पिता और शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए।

(घ) <u>खेल और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना</u>- मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए खेल, योग, ध्यान और संगीत जैसी गतिविधियों को स्कूलों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने रचनात्मक विचारों को व्यक्त करने के लिए कला, नृत्य, नाटक और अन्य कलात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

(च) <u>खुली चर्चा को बढ़ावा देना</u>- स्कूलों में विद्यार्थियों को अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर खुली चर्चा आयोजित करनी चाहिए ताकि विद्यार्थी बिना झिझक अपनी समस्याओं को साझा कर सकें।

(छ) <u>डिजिटल स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा</u>- विद्यार्थियों को साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया के प्रभाव और डिजिटल दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के तरीकों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।

(ज) <u>समुदाय और सहकारी पहल</u>- सरकार को स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति बनानी चाहिए। विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य संगठनों के साथ साझेदारी कर स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में भी बताया गया है कि प्रत्येक छात्र के लिए शारीरिक स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य जांच भी कराई जाए।

<u>स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुझावः</u>-

(**क**) नियमित व्यायाम और संतुलित आहार का शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

(**ख**) नींद की कमी, मानसिक थकान और तनाव को बढ़ा सकती है।

(**ग**) ध्यान और योग मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होते हैं।

(**घ**) समय का सही प्रबंधन तनाव को कम करने में मदद करता है।

निष्कर्षः- स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना एक आवश्यक कदम है ताकि विद्यार्थी न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकें। जब विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है तो वे अपने अध्ययन में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों– शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी और सरकार को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। जब हम मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे तो विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास संभव हो सकेगा और एक स्वस्थ समाज की नींव रखी जा सकेगी।

हम में कोई अनबन नहीं है

सोनाली माली, डाटा एंट्री ऑपरेटर
रक्षा मानकीकरण सेल, पुणे

नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है
दिल में कोई तूफ़ान नहीं है।
बस कुछ लम्हें थे ख़ामोशियों के
जिनमें लफ़्ज़ों का अरमान नहीं है।
जुबां चुप है, पर दर्द नहीं है
निगाहों में कोई गर्द नहीं हैं।

ये रिश्ता तो एक नदी सा है
जो बहता है, पर हैरान नहीं है।
ना गिले हैं, ना ही शिकवा कोई
ना टूटे हैं, ना जुदा हुआ कोई ।
कभी-कभी वक्त के मोड़ पे
हर रिश्ते में कुछ छुप रोई।

जो था बीच में, वो समझ गए हैं
जो न कहा, वो भी कह गए हैं।
सन्नाटे भी अब साथी से लगते हैं
जैसे ख़ुशी के पहलू बन गए हैं।
ना दिल को दुखाना था, ना तोड़ना था
किसी भी लम्हें को छोड़ना न था।

पर वक़्त ने कुछ खेल ऐसे खेले
कि किसी सवाल का जवाब मिलता ही न था।
पर इसमें कोई रंज नहीं है
नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है।
बस रास्ते अलग हो गए हैं ज़रा
मगर दिल से दिल की पहचान नहीं है।

वर्तमान परिदृश्य में साइबर सुरक्षा

मृत्युन्जय, प्रोजेक्ट इंजीनियर
मानकीकरण निदेशालय

आज का युग डिजिटल युग कहलाता है। विज्ञान और तकनीक में तेज़ी से हो रही प्रगति ने मानव जीवन को अत्यंत सुविधाजनक बना दिया है। इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स, डिजिटल बैंकिंग, ई-कामर्स और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफार्मों ने हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। लेकिन तकनीक के इस विस्तार ने साइबर अपराध जैसी गंभीर चुनौतियों को भी जन्म दिया है। इन्हीं खतरों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है।

साइबर सुरक्षा की परिभाषाः

साइबर सुरक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य कम्प्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, मोबाइल डिवाइस, डेटा और अन्य डिजिटल संसाधनों को गैरकानूनी पहुंच, हैकिंग, वायरस, मैलवेयर, रैनसमवेयर और डेटा चोरी जैसे खतरों से सुरक्षित रखना है। यह आईटी (IT) संरचना की रीढ़ है जो केवल व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, बैंकिग प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाएं और सैन्य जानकारी की रक्षा में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वर्तमान परिदृश्य में साइबर खतरों की स्थितिः

साइबर हमले आज केवल तकनीकी कंपनियों तक सीमित नहीं हैं बल्कि सरकारी संस्थान, रक्षा विभाग, बैंकिग सेक्टर, स्वास्थ्य सेवाएं और यहां तक कि आम नागरिक भी इसके शिकार हो रहे हैं। कोविड-19 महामारी के बाद, वर्क फ्रॉम होम की वजह से इंटरनेट उपयोग में तीव्र वृद्धि हुई जिससे साइबर अपराधों में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिली।

कुछ प्रमुख साइबर हमलों का विवरणः

1. **एम्स दिल्ली में रैनसमवेयर अटैक (AIIMS Delhi Ransomware Attack) 2022:**
   दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के सर्वर को हैक कर 4 करोड़ से अधिक मरीजों का डेटा हैक कर लिया गया था। इस हमले के बाद लगभग एक सप्ताह तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहीं।

2. **<u>मोबिक्विक डाटा लीक (Mobikwik Data Leak) 2021</u>:** डिजिटल वॉलेट सेवा प्रदाता मोबिक्विक के करोड़ों यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारी- आधार कार्ड, पैन नंबर, बैंक डिटेल्स आदि डार्क वेब पर लीक कर दी गई। यह भारत के सबसे बड़े डेटा ब्रीच में से एक था।

3. **<u>कॉसमॉस बैंक साइबर हिस्ट (Cosmos Bank Cyber Heist) 2018</u>:** पुणे स्थित कॉसमॉस बैंक के **SWIFT** सिस्टम को हैक कर हैकर्स ने अंतरराष्ट्रीय ट्रांजेक्शन के ज़रिए लगभग 94 करोड़ रूपये निकाल लिए।

<u>साइबर सुरक्षा के प्रकारः</u>

1. **<u>नेटवर्क सुरक्षा (Network Security):</u>** नेटवर्क को अनधिकृत उपयोग से सुरक्षित रखने की प्रक्रिया।

2. **<u>सूचना सुरक्षा (Information Security):</u>** डेटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को सुनिश्चित करना।

3. **<u>एप्लीकेशन सुरक्षा (Application Security):</u>** सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में खामियों को दूर करना।

4. **<u>क्लाउड सुरक्षा (Cloud Security)</u>:** क्लाउड स्टोरेज में मौजूद डेटा को सुरक्षित करना।

5. **<u>मोबाइल सुरक्षा (Mobile Security):</u>** मोबाइल उपकरणों को हैकिंग और वायरस से बचाना।

<u>साइबर सुरक्षा के लिए आवश्यक कदमः</u>

1. मजबूत पासवर्ड नीति अपनाना.
2. दो-चरणीय प्रमाणीकरण (Two-Factor Authentication) का प्रयोग।
3. संदिग्ध लिंक, अज्ञात ईमेल और फर्जी वेबसाइट से सावधान रहना।
4. एंटी वायरस फायरवॉल और सुरक्षा अपडेट्स को नियमित रूप से सक्रिय रखना।
5. साइबर जागरूकता प्रशिक्षण लेना और देना।

6. डेटा बैकअप और एन्क्रिप्शन का उपयोग।

सरकार और संस्थाओं की पहलः

भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:

- **सर्ट-इन CERT-In (Computer Emergency Response Team – India):** यह भारत की राष्ट्रीय एजेंसी है जो साइबर घटनाओं पर नज़र रखती है और प्रतिक्रिया देती है।
- **नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलः** नागरिक अब ऑनलाइन साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति (2013):** यह नीति देश के डिजिटल ढांचे को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई थी।
- **डिजिटल इंडिया अभियानः** इसमें साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है ताकि डिजिटल नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।

भविष्य की चुनौतियां और समाधानः

जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और ब्लॉक चेन जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ेगा, वैसे-वैसे साइबर अपराधों की प्रकृति भी और अधिक जटिल होती जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि भारत में साइबर कानूनों को सुदृढ किया जाए, साइबर विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जाए, और साइबर शोध को प्रोत्साहित किया जाए।

साइबर सुरक्षा अब केवल तकनीकी विशेषज्ञों की जिम्मेदारी नहीं रह गई है बल्कि हर डिजिटल उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी बन चुकी है। हम सभी को अपने-अपने डिजिटल व्यवहार में सतर्कता बरतनी चाहिए। तभी हम एक सुरक्षित, स्मार्ट और आत्मनिर्भर डिजिटल भारत की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

परिचय

भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारी अलग-अलग संस्कृतियां और परंपराएँ एक साथ मिलकर रहती हैं। इसके अलावा, दुनिया के अन्य देशों की भी अपनी-अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। इन परंपराओं में कई समानताएं और कुछ भिन्नताएं हैं। इस निबंध में हम भारत और कुछ अन्य देशों की सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में जानेंगे।

1. **भारत की सांस्कृतिक परंपराएं**

   भारत की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत पुरानी और विविध हैं। यहां के लोग विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाओं में बंटे हुए हैं लेकिन फिर भी सभी एक ही देश में प्रेम से मिलकर रहते हैं। भारत में त्योहारों का बहुत महत्त्व है; जैसे कि होली, दीपावली, ईद, लोहड़ी और क्रिसमस। इसके अलावा, भारत का पारंपरिक संगीत, नृत्य और योग भी विश्वभर में प्रसिद्ध है। भारतीय भोजन, कपड़े और रीति-रिवाज भी बहुत खास हैं।

2. **चीन की सांस्कृतिक परंपराएं**

   चीन की संस्कृति भी बहुत पुरानी है। यहां के लोग कन्फ्यूशियस के विचारों को मानते हैं और पारंपरिक चीनी चिकित्सा में विश्वास रखते हैं। चीनी नव वर्ष, ड्रैगन बोट फेस्टिवल और लालटेन उत्सव जैसी परंपराएं चीन की संस्कृति का हिस्सा हैं। इसके अलावा, चीनी चाय का महत्त्व भी बहुत है।

3. **जापान की सांस्कृतिक परंपराएं**

   जापान की संस्कृति में बहुत शिष्टाचार और सम्मान का ध्यान रखा जाता है। यहां की चाय-सेरेमनी और इकेबाना (फूलों की सजावट) बहुत प्रसिद्ध हैं। जापान में समुराई की परंपरा और शिंतो धर्म का भी बहुत महत्त्व है। जापान में हर चीज में सुंदरता और सरलता का ध्यान रखा जाता है।

4. **पश्चिमी देशों की सांस्कृतिक परंपराएं**

पश्चिमी देशों, जैसे कि अमेरिका और यूरोप में ज्यादा ध्यान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आधुनिकता पर दिया जाता है। वहां के प्रमुख त्योहारों में क्रिसमस, थैंक्सगिविंग और हैलोविन शामिल हैं। हालांकि ये त्योहार भी धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं से जुड़े होते हैं, पर वे अधिक आधुनिक हैं।

5. **सांस्कृतिक समानताएं और भिन्नताएं**

भारत और दूसरे देशों की संस्कृतियों में बहुत सारी समानताएं हैं, जैसे कि त्योहारों के दौरान परिवार और समुदाय का एकजुट होना। साथ ही कला, संगीत और नृत्य का महत्त्व हर जगह पाया जाता है। लेकिन हर देश की परंपराएं कुछ अलग होती हैं; जैसे भारत में संयुक्त परिवार की परंपरा है जबकि पश्चिमी देशों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज्यादा महत्त्व दिया जाता है।

हर देश की संस्कृति उसकी पहचान होती है और यही उसकी महानता का कारण बनती है। भारत और अन्य देशों की सांस्कृतिक परंपराएं एक-दूसरे से सीखने का अवसर देती हैं। अगर हम इन संस्कृतियों का आदान-प्रदान करें तो हम दुनिया में एकता और भाई-चारे को बढ़ा सकते हैं।

"हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।"

- सुमित्रानन्दन पंत

समय का महत्त्व और जीवन की दिशा

कमांडर ए एस बिशनोई, प्रभारी अधिकारी
रक्षा मानकीकरण सेल, जबलपुर

समय, यह एक ऐसा अमूल्य संसाधन है जिसे हम कभी रोक नहीं सकते, न ही वापस पा सकते हैं। यह जीवन का अभिन्न हिस्सा है जो हर क्षण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। समय का सही उपयोग ही जीवन को सार्थक बनाता है और इसे समझने से ही हम अपने उद्देश्य की दिशा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

समय की महत्ता पर विचार करते हुए हम पाते हैं कि यह एक ऐसा अदृश्य तत्व है जो हमारे प्रत्येक कार्य, विचार और निर्णय पर प्रभाव डालता है। जीवन के प्रत्येक पहलू में समय का अहम योगदान है। अगर समय का सही उपयोग किया जाए तो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता।

आज के युग में जब प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक बढ़ चुकी है तो समय का सदुपयोग और भी ज्यादा आवश्यक हो गया है। हर व्यक्ति के पास समान 24 घंटे होते हैं लेकिन जो व्यक्ति समय का प्रबंधन सही तरीके से करता है, वही जीवन में सफल होता है। हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि समय न केवल हमारी उपलब्धियों का पैमाना है बल्कि यह हमारे अनुभव और शिक्षा का भी एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

समय का सही उपयोग केवल कार्यों में ही नहीं बल्कि हमारे आराम और मनोरंजन में भी होना चाहिए। समय का प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को संतुलित और व्यवस्थित तरीके से जी सकते हैं। काम के साथ-साथ आराम और मनोरंजन की सही मात्रा भी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है और मानसिक शांति को बनाए रखती है।

समय के महत्त्व को समझते हुए हमें इसे बर्बाद करने के बजाय हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। इस मायने में हमारे पुराने संतों और गुरुओं के कहे गए

ये शब्द अत्यंत महत्त्पूर्ण है- “समय की कद्र करो क्योंकि समय ही धन है और यह एक बार चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता।”

समय का सदुपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। हमें यह तय करना होगा कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, और कब करना है। जब हम अपने समय की कीमत समझते हैं तो हम उसे किसी प्रकार की अव्यवस्था या अनावश्यक कार्यों में बर्बाद नहीं करेंगे।

अंततः समय का सही उपयोग ही जीवन को दिशा और उद्देश्य देता है। यही समय जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है जिसे हमें सही तरीके से निवेश करना चाहिए। जिस तरह से हम पैसे का सही निवेश करते हैं, उसी तरह हमें अपने समय का भी समझदारी से निवेश करना चाहिए ताकि हम एक सफल और संतुष्ट जीवन जी सकें।

राष्ट्र की एकता को यदि बनाकर रखा जा सकता है तो उसका माध्यम हिंदी ही हो सकती है

- सुब्रह्मण्यम भारती

साइबर की दुनिया है अब रियल
पर सावधानी से चलो संभल।
डाटा की चोरी और पासवर्ड पर आघात
हैकर लगा रहे हैं हर कदम पर घात।

नेटवर्क में छिपे हैं कई जाल
संभल कर चलें, कभी हो कोई चाल।
फिशिंग, मालवेयर, वायरस की साजिश
सुरक्षा का रखो ध्यान, हर जगह है खतरों की बारिश।

ट्रस्ट ना करो हर लिंक को
सुरक्षित रहो, न खोलो हर इक को।
सोशल मीडिया पर भी ध्यान रखो
अपनी प्राइवेसी का संज्ञान रखो।

रखो जिंदगी प्राइवेट अपनी
ना प्रसिद्ध होने का ख्याल रखो।
स्मार्टफोन और लैपटॉप में हो एंटीवायरस
इंटरनेट से बचो और रखो फासले।

हर पग पर जांच जरूरी है
क्योंकि इंटरनेट का प्रयोग मज़बूरी है।
सो, साइबर सुरक्षा की बातों को समझो
अपने डाटा को सुरक्षित रखने के तरीकों को बूझो।

ध्यान और जागरूकता जो रखेंगे सभी
साइबर अपराधियों से बच सकेंगे तभी।

हिंदी भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं का संबंध

हवलदार योगेश कोलवाडकर
रक्षा मानकीकरण सेल, पुणे

भूमिका

भारत एक विशाल देश है जहां कई भाषाएं बोली जाती हैं। हर राज्य की अपनी एक भाषा होती है जिसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, जैसे– पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बांग्ला इत्यादि। हिंदी भारत की राजभाषा है और लगभग पूरे देश में समझी जाती है। राष्ट्रीय संवाद को बनाए रखने के परिप्रेक्ष्य में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का आपस में गहरा संबंध है।

- **<u>हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का रिश्ता</u>**

  हिंदी और बाकी भाषाएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इनमें कई शब्द और बोलने का तरीका एक जैसा होता है। कुछ शब्द हिंदी से क्षेत्रीय भाषाओं में जाते हैं और कुछ वहां से हिंदी में आ जाते हैं। यह आदान-प्रदान भाषाओं को और मजबूत बनाता है।

- **<u>एकता की भावना</u>**

  हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं देश को जोड़ती हैं। जब लोग अपनी भाषा के साथ हिंदी भी बोलते हैं तो वे दूसरे राज्यों के लोगों से आसानी से बात कर पाते हैं। इससे देश में एकता बनी रहती है।

- **<u>शिक्षा और मनोरंजन में साथ</u>**

  हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं स्कूलों, टीवी, फिल्मों और किताबों में साथ-साथ चलती हैं। हिंदी फिल्में पूरे देश में देखी जाती हैं और कई बार वे क्षेत्रीय भाषाओँ में भी बनाई जाती हैं और वर्तमान में क्षेत्रीय भाषाओं में बनी फिल्मों का हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी व्यापक लोकप्रियता मिली है।

हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं मिलकर भारत को एक सूत्र में बांधती है। हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए और हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं को सीखकर देश की एकता में योगदान देना चाहिए।

अंतर

राधिका चावला, वैयक्तिक सहायक
मानकीकरण निदेशालय

किसी ने कहा है त्याग उपभोग से महान होता है,
भला भोगी का भी कोई सम्मान होता है?
शायद इसलिए हमेशा मां-बाप बच्चों को समझाते हैं,
वे उपभोग को हमेशा निरर्थक बतलाते हैं,
वे कहते हैं बेटा, छोड़ दे इसे, ये जिद बेकार है,
और बच्चे, अक्सर, बड़ों की नसीहत और
अपनी इच्छाओं के बीच लाचार हैं।
बच्चे जो अभी स्वाद से, उपभोग से अनजान हैं,
भला कैसे मानें कि त्याग ही महान है।

फिर एक दिन, बच्चे बड़े हो जाते हैं,
और उपभोग की निरर्थकता खुद ही समझ जाते हैं।
मगर, अब वे नसीहत देने में हिचकते हैं,
ललचाए बच्चों को रोकते हुए ठिठकते हैं।
वे जान चुके हैं कि उपभोग का जंक्शन आए बगैर,
सच्चे त्याग का स्टेशन आ नहीं सकता।
उपभोग बिन त्याग भा नहीं सकता।
जले बिना कौन मानता है कि आग जलाती है,
ये समझ तो झुलस कर ही आती है।

आज के बच्चे कम्प्यूटर और अमेरिका को जानते हैं,
थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल को मानते हैं।
आप इन्हें रोक नहीं सकते,
एक सीमा से अधिक टोक नहीं सकते।
जो करते हैं, करने दीजिए।

एक दिन खुद ही समझ जाएंगे कि
त्याग ही उपभोग से महान होता है,
भला भोगी का भी कोई सम्मान होता है।

"कंठस्थ" एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसे राजभाषा विभाग द्वारा सी-डेक, पुणे के सहयोग से विकसित किया गया है। यह टूल न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन और मेमोरी ट्रांसलेशन को समेकित करते हुए अनुवाद कार्य में सहायता प्रदान करता है। इसके अद्यतन स्वरूप "कंठस्थ 2.0" के ई-ऑफिस के साथ एकीकृत संस्करण का लोकार्पण तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2023 में माननीय गृह मंत्री द्वारा किया गया। "कंठस्थ 2.0" के विशिष्ट फीचर इस प्रकार हैः

- **<u>अनुवाद का व्यापक डेटाबेस तथा सटीक अनुवाद-</u> इस समय इस टूल की मेमोरी में 4 करोड़ से अधिक वाक्य हैं। इसके परिणाम स्वरुप सरकारी कामकाज में प्रयुक्त पत्राचार/टिप्पणियों/वाक्यांशों का सटीक अनुवाद प्राप्त किया जा सकता है।**
- **<u>स्मार्ट चैटबोट</u>- यह May i help you की तरह है। इसमें नए प्रयोक्ता के लिए बहुत सारे प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दिए गए हैं। आप इन्हें एक प्रकार से 'FAQS' या 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' कह सकते हैं।**
- **<u>वॉयस टाइपिंग</u>- अब इस सॉफ्टवेयर में टाइपिंग करने की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। प्रयोक्ता बोलकर भी टाइप कर सकते हैं।**

वेबलिंकः https://kanthasth.rajbhasha.gov.in/

भावनात्मक संतोष- आंतरिक शांति की ओर एक कदम

उज्जवल आनंद, सहायक अनुभाग अधिकारी
रक्षा मानकीकरण सेल पुणे

हर इंसान अपने जीवन में खुश रहना चाहता है लेकिन सच्ची खुशी सिर्फ पैसे, गाड़ी या भौतिक चीज़ों से नहीं मिलती। असली खुशी तब मिलती है जब हमारा मन शांत और संतुष्ट होता है।

'भावनात्मक संतोष' का मतलब है व्यक्ति के दिल और दिमाग में शांति और संतुलन होना। अपनी जीवन शैली की दूसरों की जीवन शैली से तुलना करते हुए अपनी भावना को निरंतर चोट पहुंचाना यह तो इंसान की सबसे बुरी आदत होती है। इसके प्रभाव में न आते हुए अगर हम स्वयं को संतुलित रखते हैं तो हम भावनात्मक रूप से संतुष्ट रहते हैं।

'भावनात्मक संतोष' का मुख्य आधार होता है– आत्म-स्वीकृति, संतुलित संबंध और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। जब हम स्वयं को समझते हैं, अपने गुण-दोषों को स्वीकारते हैं और अपने प्रयासों से खुश रहते हैं, तब 'भावनात्मक संतोष' की नींव मजबूत होती है। ऐसे व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होते हैं और कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखते हैं।

आज के आधुनिक युग में, जहां हर कोई भौतिक प्रगति की दौड़ में लगा हुआ है, वहां 'भावनात्मक संतोष' की कमी देखी जा रही है। सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं के बोझ ने मनुष्य को मानसिक रूप से असंतुलित कर दिया है। रिश्तों में दरार, अकेलापन और तनाव इसके स्पष्ट संकेत हैं।

भावनात्मक संतोष पाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने मन की सुनें, अपने रिश्तों में ईमानदारी और स्नेह बनाए रखें और आत्म-विकास पर ध्यान दें। ध्यान, योग, आत्ममंथन और सच्चे संबंध इसमें सहायक होते हैं।

कोई भी व्यक्ति या भावना हमें केवल तब परेशान कर पाती है जब हम उसे शक्ति देते हैं। अतः अतीत का बोझ मन से उतार देना चाहिए और वर्तमान में संतुष्टि का आनंद लेना चाहिए।

लोक प्रशासन में नैतिकता की महत्ता : भारतीय योगदान

डमरुधर शर्मा, सहायक अनुभाग अधिकारी
मानकीकरण निदेशालय

लोक प्रशासन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल स्तंभ होता है। यह न केवल शासन और नागरिकों के बीच सेतु का कार्य करता है बल्कि समाज में न्याय, समानता और कल्याण की नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र भी है। लोक प्रशासन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि यह कितनी पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सत्यनिष्ठा से कार्य करता है। इसलिए नैतिकता लोक प्रशासन का केंद्रीय तत्व माना जाता है। यदि प्रशासन नैतिक मूल्यों से शून्य हो जाए तो लोकतंत्र केवल दिखावा रह जाएगा। इस लेख में हम लोक प्रशासन की परिभाषा व उसके पहलुओं की चर्चा करेंगे और यह समझेंगे कि गीता और गांधीवाद द्वारा प्रतिपादित नैतिक-मूल्य सार्वजनिक जीवन और प्रशासन को कैसे दिशा प्रदान करते हैं।

लोक प्रशासन की परिभाषा

लोक प्रशासन को सामान्यतः "जनहित में किए जाने वाले संगठित प्रयास" कहा जाता है। यह शासन का वह व्यावहारिक पक्ष है जिसमें नीतियों का निर्माण, कार्यान्वयन तथा निगरानी शामिल हैं। विद्वानों ने इसकी परिभाषा अलग-अलग ढंग से की है –

- **वुडरो विल्सन के अनुसार** – "लोक प्रशासन राजनीति से भिन्न एक विषय है जिसका कार्य है – नीतियों का प्रशासनिक कार्यान्वयन।"

- **एल.डी. व्हाइट के अनुसार** – "लोक प्रशासन एक सर्वसमावेशी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शासन की सभी तीन शाखाएं आती हैं तथा यह जनता के लिए सेवा प्रदान करने का माध्यम है।"

सार रूप में, लोक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके जरिए राज्य अपने नागरिकों को सुरक्षा, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करता है।

लोक प्रशासन के विभिन्न आयाम

लोक प्रशासन बहुआयामी है जिसमें:-

- **नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन** – सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को व्यवहार में बदलना।
- **न्याय और समानता की स्थापना** – विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन बनाना।
- **पारदर्शिता और उत्तरदायित्व** – जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- **कुशलता और प्रभावशीलता** – सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना।
- **लोक कल्याण** – नागरिकों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना तथा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- **मानव-केन्द्रित दृष्टिकोण** – केवल तकनीकी कार्यवाही नहीं बल्कि नागरिकों की उम्मीदों, आकांक्षाओं और विश्वास का सम्मान करना।

इन सभी पहलुओं में नैतिकता का स्थान सर्वाधिक है क्योंकि बिना नैतिक आधार के प्रशासन केवल शक्ति का यांत्रिक प्रयोग बनकर रह जाएगा।

लोक प्रशासन में नैतिकता का महत्व

- **जनविश्वास की स्थापना** – यदि लोक सेवक सत्यनिष्ठ व ईमानदार होंगे तो जनता प्रशासन पर विश्वास करेगी।
- **भ्रष्टाचार पर नियंत्रण** – नैतिक मूल्यों के अनुपालन से रिश्वतखोरी, पक्षपात और भाई-भतीजावाद पर रोक लग सकती है।
- **न्याय की सुनिश्चितता** – नैतिक दृष्टिकोण हर वर्ग के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करता है।
- **लोकतंत्र की मजबूती** – जब प्रशासन पारदर्शी और नैतिक होता है तो लोकतंत्र सशक्त व जीवंत रहता है।

- **सतत विकास** – अल्पकालिक लाभ की जगह दीर्घकालिक व स्थायी विकास को प्राथमिकता मिलती है।

नैतिकता में भारतीय योगदान (गीता एवं गांधी)

गीता में निहित नैतिकता

गीता भारतीय दर्शन का मूल ग्रंथ है जिसमें "निष्काम कर्म, स्थितप्रज्ञ, स्वधर्म एवं लोक-संग्रह जैसे सिद्धांत दिए गए हैं। इन सिद्धांतों का सीधा उपयोग लोक प्रशासन की नैतिकता में किया जा सकता है –

- **निष्काम कर्म** – प्रशासक को सफलता एवं असफलता की आसक्ति त्यागकर केवल कर्म करना चाहिए क्योंकि आसक्ति प्रशासक के हृदय को कमजोर बनाएगी। अत: प्रशासक को पुरस्कार या दंड की चिंता किए बिना अपने कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए।

- **स्थितप्रज्ञ**– गीता में वर्णित है कि वह व्यक्ति जो सुख-दु:ख, लाभ-हानि, जय-पराजय, सफलता-असफलता में समता की स्थिति बनाए रखता है तथा जिसका मन किसी बाहरी उत्तेजना एवं चिंता से प्रभावित नहीं होता है, स्थितप्रज्ञ कहलाता है। यही गुण प्रशासक में मानसिक संतुलन और निष्पक्षता विकसित करता है।

- **स्वधर्म**– गीता का "स्वधर्म" का सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक पदाधिकारी को अपना धर्म पूर्ण निष्ठा से निभाना चाहिए। गीता में यहां तक वर्णित है कि "स्वधर्मे निधनं श्रेय: परधर्मो भयावह:" अर्थात दूसरों के धर्म को अपनाने से बेहतर है अपने धर्म को निभाते हुए प्राण त्यागना। संविधान का पालन, जन-सेवा, आचार संहिता अनुरूप आचरण, पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाना जिससे सर्वोदय का आदर्श स्थापित हो सके, इत्यादि लोकसेवक के स्वधर्म हैं। वहीं भ्रष्टाचार, पक्षपात, लालफीताशाही एवं अन्याय धर्म के विरुद्ध हैं।

- **<u>लोकसंग्रह</u>**- यह विश्वकल्याण के अर्थ में लिया जाता है। भारतीय संदर्भ में यह अवधारणा **"वसुधैव कुटुंबकम्"** के निकट है। दूसरों की भलाई के लिए कार्य कर इस आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिए आवश्यक है कि प्रशासक समुचित नीति क्रियान्वयन करे, नागरिक जागरुकता एवं सशक्तिकरण का प्रयास करे तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करे।

<u>गांधीवादी नैतिकता</u>

महात्मा गांधी का दर्शन अपने जीवन में किए गए अनुप्रयोगों के आधार पर आधारित है एवं उन्होंने नैतिकता संबंधी अनेक आदर्श प्रस्तुत किए जिनमें से पंच-महाव्रत, सर्वोदय, साध्य-साधन सिद्धांत एवम् न्यासिता आदि प्रमुख हैं:

1. **<u>पंच महाव्रत</u>** – इनमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य सम्मिलित हैं।

- **<u>सत्यः</u>** गांधीजी के अनुसार सत्य ही सर्वोच्च ईश्वर है एवं व्यापक अर्थ में विचार, कर्म एवं वाणी में एकरूपता ही सत्य है। लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाती है।

- **<u>अहिंसाः</u>** ईश्वर की समस्त कृतियों के प्रति दया एवं करुणा का भाव रखना एवं मन, वचन व कर्म से किसी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना। प्रशासक को चाहिए कि उसके द्वारा क्रियान्वित किसी भी नीति या कदम से जनता पर अन्याय न हो।

- **<u>अस्तेयः</u>** इसका साधारण अर्थ है -चोरी नहीं करना लेकिन गांधी जी ने इसे "न्यूनतम आवश्यकता से अधिक का अधिग्रहण करना या करने का विचार मात्र रखना भी चोरी के समान है" के अर्थ में लिया है। यह प्रशासकों को रिश्वत ना लेने, आय से अधिक सम्पत्ति ना रखने, अवैध उपहार स्वीकार ना करने तथा सादा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है।

- **<u>अपरिग्रहः</u>** लालच की भावना पर नियंत्रण रखना तथा बुनियादी जरुरतों से अधिक को समाज की जरूरतों में लगाना। यह प्रशासकों में भौतिक सुखों

एवं विलासिता के प्रति लगाव को कम करता है तथा वंचितों के हितार्थ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।

- **ब्रह्मचर्यः** व्यापक अर्थ में इंद्रियों पर नियंत्रण ही ब्रह्मचर्य है तथा गांधी जी ने इसे मन, वचन तथा कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करने के अर्थ में लिया है। यह प्रशासकों को लालच से दूर रहने, कार्य स्थल पर महिलाओं से समुचित व्यवहार करने आदि के लिए प्रेरित करता है।

2. **सर्वोदय** – सर्वोदय से तात्पर्य सभी का शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास है। यह पश्चिम की उपयोगितावाद से अधिक व्यापक है क्योंकि इसमें अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सु:ख के स्थान पर सभी का सभी प्रकार से उत्थान सम्मिलित है। सर्वोदय प्रशासकों के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे गरीब कल्याण अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना तथा विभिन्न प्रकार की सब्सीडियों को अंतिम लाभार्थी तक पहुंचाने संबंधी लक्ष्य निर्धारित करता है।

3. **साध्य-साधन सिद्धांत** – गांधी जी साध्य तथा साधन के मध्य बीज और पेड़ जैसा संबंध मानते हैं यथा हम जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। उनके अनुसार यदि सत्य को असत्य तरीकों से प्राप्त किया जाए तो सत्य की महत्ता समाप्त हो जाती है। अत: प्रशासकों के लिए यह आवश्यक है कि उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनाए गए साधन दोनों पवित्र होने अनिवार्य हैं। यह प्रशासकों के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य के एवज में लिए जाने वाले किसी भी प्रकार के फायदों को अनुचित ठहराता है।

4. **न्यासिता** – यह गांधी जी की आर्थिक अवधारणा है। इसके अनुसार समस्त सम्पत्ति ईश्वर की है जिसका उपयोग समाजसेवा में होना चाहिए। यह अवधारणा सम्पत्ति के धारक को केवल एक ट्रस्टी/संरक्षक के रूप में देखती है और यह अपेक्षा करती है कि यह धारक इसका उपयोग गरीबों अथवा समाज के यथासम्भव उत्थान के लिए करेगा। इस दिशा में यह अवधारणा प्रशासकों को उसको मिलने वाले भत्तों/धन का ट्रस्टी मानती है तथा उनसे यह अपेक्षित है कि वे इनका प्रयोग समाज के लिए स्थापित लक्ष्यों की प्राप्ति

में करें। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की यह जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करती है कि वह अपने अधिकारों का उपयोग केवल समाज-कल्याण के लिए करे।

गीता और गांधीवादी नैतिकता का संगम

दोनों ही विचारधाराएं प्रशासन को "कर्त्तव्यपालन और सेवा" पर केंद्रित करती है। यदि इन मूल्यों को प्रशासनिक व्यवस्था में समाहित किया जाए तो भ्रष्टाचार, पक्षपात और अपारदर्शिता जैसी समस्याएं स्वतः कम हो जाएंगी।

निष्कर्षः- लोक प्रशासन लोकतांत्रिक शासन की आत्मा है और नैतिकता इस आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति। गीता आधारित नैतिकता प्रशासन को निष्काम भाव से कर्तव्यनिष्ठ और निष्पक्ष बनाती है, वहीं गांधीवादी नैतिकता उसे सत्य, अहिंसा और सेवा के पथ पर ले जाती है। आज के समय में जब लोक सेवाओं पर भ्रष्टाचार, शक्ति का दुरुपयोग और विश्वास संकट जैसे खतरे मंडरा रहे हैं, तब गीता और गांधी जी की शिक्षाएं और भी प्रासंगिक बन जाती हैं।

वास्तव में, नैतिकता के बिना लोक प्रशासन केवल शक्ति-प्रयोग का उपकरण बन सकता है, मगर नैतिकता के साथ यह जनकल्याण और राष्ट्र-निर्माण का माध्यम बन जाता है। इसलिए, भारतीय परंपरा से प्रेरित गीता और गांधीवादी नैतिक मूल्य लोक प्रशासन को न केवल व्यवस्थित करेंगे बल्कि उसे अधिक जनोन्मुख, स्थायी और विश्वसनीय बनाएंगे।

"मैं उन लोगों में से हूँ, जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है।"

- लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

बेटी

दिक्षा अक्षय साखरे, डी.डी.ओ
रक्षा मानकीकरण सेल, पुणे

जिद उसकी ठठीली है,
लड़की छैलछबीली है।
नाज़ुक सा पंख है वो,
गुड़िया रंग रंगीली है।

छुपना छुपाना उसका,
मन-मन मुस्काना उसका।
अचानक घबराना उसका,
आँखें फिर दिखाना उसका।

वो एक दीया-बाती है जिससे,
जिंदगी जगमगाती हैं।
मेरी रूह चैन पाती है,
जब बेटी गले लग जाती हैं।

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।।

- भारतेंदु हरिश्चंद्र

एक ख्वाबः पाकिस्तान इंटेलीजेंस ऑपरेटिव का प्रहार

अकुल गुप्ता, कनिष्ठ कार्य प्रबंधक
मानकीकरण निदेशालय

आज एक ख्वाब आकार हुआ, जो सपने में साकार हुआ;
जो देखा वो बतलाते हैं, आईना आओ दिखाते हैं।।
वक़्त के पन्ने पलटे हैं और हम इंटरनेट पर निकले हैं;
सब कुछ यहां पर मिलता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है।

दोस्त आसानी से बन जाते हैं, बातें खूब बनाते हैं;
दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, जिंदगी खुशनुमा कटती है।।
फिर इक दिन पुलिस आ जाती है, उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है;
फोन, कम्प्यूटर अपने कब्जे में कर, खूब हमें डराती है।

तब ये पता चलता है, कि क्या खता कर दी हमने;
एक पी आई ओ के जाल में फंसकर, उससे दोस्ती कर ली हमने।।
थोड़ी मोड़ी बातें कीं, जो लगती थीं बड़ी अच्छी सी;
कुछ सुबह से चालू होती थीं, कुछ रातों तक फिर चलती थीं।

वो प्यार से हमें बुलाती थी, अपनापन खूब दिखाती थी;
फिर पूछती थी तुम कैसे हो, कहां कहां तुम रहते हो;
कैसे तुम इतने अच्छे हो, काम तुम क्या करते हो।
वो कहती करते कमाल हो तुम, देश के लिए महान हो तुम;

तुम जैसा कोई और नहीं, तुम्हारा कोई ओर छोर नहीं।
फिर हम और बतलाते थे, क्या क्या करते हैं वो दिखाते थे;
कुछ हमने फोटो भेजी उसको, कुछ वीडियो भी दिखा दीं;
अपने से संबंधित बातें सारी, पूर्णतः उसको बता दीं।।

बस यहीं तो बंटाधार हुआ, और पी आई ओ का प्रहार हुआ;
हम उसके जाल में फंस जो गए, आज जेल में आकर अटक गए।
गई सारी खुशियां नौकरी संग, अब तो बदनाम भी हो गए हम।
बस लगता इंटरनेट बर्बादी है, बिन इंटरनेट जो जिंदगी सादी है।
होना उसी जिंदगी का आदी है, होना उसी जिंदगी का आदी है।।

डर के फिर उठ गए हम, बड़ा सुकून तब महसूस हुआ;
ये सब बस इक सपना था, जानकर दिल खुशी में मशरूफ हुआ।
जो है जिदंगी बड़ी अच्छी है, हर बात यहां पर सच्ची है;
कम हों भले ही पर सच्चे हैं, दोस्त हमारे सब अच्छे हैं।।

फेसबुक इंस्टा पर सब दिखावा हैं, न सच्चाई से नाता है;
हैं दूर इन सबसे ये सच्चा है, सादा जीवन ही अच्छा है,
सादा जीवन ही अच्छा है।।

"भारतीय संस्कृति एक विकसित शत दल कमल की तरह है जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएँ हैं। किसी भी एक पंखुड़ी के नष्ट होने से कमल की शोभा नष्ट हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बन कर प्रांतों में विराजमान रहें एवं इनके बीच हिंदी मध्यमणि बन कर विराजती रहे।"

- रविन्द्रनाथ ठाकुर

समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी.)

पुरुषोत्तम ब्यूरा
रक्षा मानकीकरण सेल, इच्छापुर

समान नागरिक संहिता या समान आचार संहिता का अर्थ "एक पंथ निरपेक्ष कानून" होता है। जो सभी पंथों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। समान नागरिक कानून अलग-अलग पंथों के लिए अलग-अलग सिविल कानून ना होना ही "समान नागरिक संहिता" की मूल भावना है जो देश के हर नागरिक पर लागू होता है। ये किसी भी धर्म, जाति के सभी निजी कानून से ऊपर होता है।

- **समान नागरिक संहिता के अंदर आने वाले मुख्य विषय हैं**

  (क) विवाह, तलाक और गोद लेना।
  (ख) व्यक्तिगत मामला।
  (ग) संपत्ति का अधिग्रहण और संपत्ति के अधिकार इत्यादि।

- **समान नागरिक संहिता के मुख्य फायदे इस प्रकार हैं**

  (क) महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा।
  (ख) कानून में स्पष्टता और सरलता आएगी।
  (ग) धर्म और व्यक्तिगत कानून के कारण होने वाला भेद-भाव समाप्त हो जाएगा।
  (घ) सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार मिलेगा।

- **समान नागरिक संहिता के कुछ नुकसान भी हैं**

  (क) भारत की अलग-अलग संस्कृति और विविधता को नुकसान पहुंचेगा।
  (ख) भारत के समाज में विविधता में एकता वाला फायदा मिलना बंद हो सकता है।

कुल मिलाकर समान नागरिक संहिता भारत के लिए अच्छा रहेगा

बदलते परिवेश में स्टैण्डर्डस : मानकी समूह के बढ़ते कदम

ग्रुप कैप्टन प्रशान्त कुमार
मानकीकरण निदेशालय

"उम्मीद की नई किरणों से, रोशन हुआ है बागवाँ,
सदियों बाद अंधेरे में. कोई दिया जलाने आया है।"

कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व की हमारी सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की जो अलख जगाई है, उसने न केवल आम जन-मानस में बल्कि देश के सभी उद्यमियों, उत्पादकों एवं निर्यातकों में भी नई ऊर्जा और उमंग का संचार किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह दौर हम सभी के लिए एक स्वर्णिम काल है क्योंकि आज हमारे पास विकसित भारत का संकल्प लिए न सिर्फ एक अटल प्रतिज्ञा है बल्कि उसे पूरा करने हेतु सुझाए गए वे तमाम रास्ते भी हैं, जिन पर चलते हुए हमारा देश निश्चय ही तरक्की, उन्नति और विकास की ऊंचाईयों को छूकर एक नया कीर्तिमान बनाएगा। इन राहों में प्रमुख हैं- 'पंच प्रण', 'मेक इन इंडिया', 'आत्म निर्भर भारत' एवं 'वन नेशन : वन स्टैण्डर्ड'।

'वन नेशन : वन स्टैण्डर्ड' अर्थात 'एक राष्ट्र : एक मानक!' और जब सैन्य उपकरणों के 'स्टैण्डड्र्स' यानि 'मानकों' की चर्चा होगी तो मानकीकरण निदेशालय के 'मानकी समूह' का जिक्र होना लाज़मी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी आयुध उपकरणों के 'मानक-प्रपत्रों' के विश्लेषण, निर्माण, नवीनीकरण एवं संबंधित प्राधिकरण से उनका सत्यापन करवाने की जिम्मेदारी 'मानकी समूह' की ही है। उल्लेखनीय है कि इन कार्यों के लिए वरिष्ठतम वैज्ञानिकों की अध्यक्षता में विशेषज्ञों से सुसज्जित कुल 15 उप-समितियां बनाई गई हैं। 'मानकी समूह' इन सभी समितियों एवं तीनों सेनाओं के संबंधित कार्यालयों के बीच आपसी समन्वय के साथ-साथ विषयानुसार पॉलिसी निर्माण से लेकर उन्हें लागू करने आदि में भी मंत्रालय को सहयोग करता है। इस तरह प्रत्येक वर्ष स्टैण्डर्डाइजेशन सब-कमिटीज के चेयरमैनों की कमिटी (सी.सी.एस.एस.सी.) की बैठकों में मानकों के निर्माण एवं पुनरीक्षण संबंधी निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में मानकी समूह अपनी अहम भूमिका निभाता है।

गौरतलब है कि हर क्षेत्र की भांति रक्षा क्षेत्र में भी देश को आत्म-निर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वदेशी आयुध उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वैश्विक स्तर पर हो रहे नित नए अनुसंधानों, आविष्कारों एवं पुरानी तकनीकों में बदलाव के मद्देनजर राष्ट्रीय स्तर पर भी रक्षा उपकरणों एवं उनके 'स्टैण्डर्ड्स' के निर्माण एवं पुनरीक्षण का दबाव कई गुणा बढ गया है। चूंकि बदलते परिवेश में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही अपने उपकरणों एवं 'स्टैण्डर्ड्स' को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय और स्वीकार्य बनाना ही हमारी प्रतिबद्धता है। अतः इन दबावों एवं चुनौतियों का सामना करते हुए 'स्टैण्डर्ड्स' के निर्माण एवं पुनरीक्षण की प्रक्रिया को समय-सीमा के भीतर पूरा करने के उद्देश्य से पूरी व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। फलस्वरूप, मानकी समूह द्वारा इस दिशा में कुछ सुधारात्मक कदम उठाए हैं जिनका यहां उल्लेख करना जरूरी है।

संगठनात्मक सुधार

स्टैण्डर्ड्स निर्माण की प्रक्रिया को और अधिक जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से संगठनात्मक स्तर पर कुछ बदलावों की अनुशंसा की गई है। इनमें से कुछ उल्लेखनीय सुधार निम्नलिखित हैः-

(क) **निदेशालय एवं डिफेन्स स्टैण्डर्डाइजेशन सेलों के स्तर पर-** सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए यह प्रस्तावित किया गया है कि मानकीकरण निदेशालय को महानिदेशक (मेजर जनरल या समकक्ष) स्तर के अधिकारी के अधीन करके एक महानिदेशालय बनाया जाए। इससे इस क्षेत्र में आ रही बाधाओं को न केवल आसानी से पार किया जा सकेगा बल्कि स्टैण्डर्ड निर्माण की प्रक्रिया को और अधिक सहज, सरल एवं सुगम्य बनाया जा सकेगा।

इसके अलावा मानकी समूह के अधिकारियों एवं डिफेन्स स्टैण्डर्डाइजेशन सेलों के अधिकारियों की जिम्मेवारियों को पुनर्निधारित करके एक महत्तवपूर्ण सुधार कर लिया गया है। दरअसल, पहले मानकी समूह में पदस्थापित अधिकारी ही अलग-अलग उप-समितियों के सचिव का

कार्यभार संभाल रहे थे। फिलहाल बदलाव यह किया गया है कि जिन स्टैण्डर्डाइजेशन सेलों में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में अधिकारी उपलब्ध हैं, उन्हें अब उस उप-समिति के 'सचिव' का कार्यभार सौंपा गया है जबकि मानकी समूह के अधिकारी द्वारा उस उप-समिति के 'समन्वय सचिव' की भूमिका निभाई जा रही है। इससे पत्राचार वगैरह में होने वाले अनावश्यक विलंब में कमी आई है और कार्यों के त्वरित निष्पादन में सफलता मिली है।

(ख) **<u>सैन्य मुख्यालयों के स्तर पर</u>**- वर्तमान में तीनों सेनाओं के मुख्यालयों में तीन सर्विस स्टैण्डर्डाइजेशन सेल हैं जो ले.कर्नल स्तर के अधिकारी द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इन कार्यालयों में पर्याप्त विशेषज्ञों, स्टाफ और संरचनात्मक ढांचे की कमी के कारण स्टैण्डर्ड्स की गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और सुनियोजित तरीके से बड़े पैमाने पर स्टैण्डर्ड निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो सके, इसलिए यह प्रस्तावित किया गया है कि तीनों सेलों को विस्तारित करके तीन निदेशालय बनाया जाए। ये निदेशालय तीनों सेनाओं में ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी द्वारा नियंत्रित एवं संचालित किए जाएं।

<u>नीतिगत सुधार</u>

(क) **<u>मामलों से संबंधित विशेषज्ञों (एस.एम.ई.) की कांट्रैक्ट पर नियुक्ति</u>** मानकी समूह की सभी 15 उप-समितियों में तकनीकी विशेषज्ञों (सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टस) की कमी को शिद्दत से महसूस किया जा रहा था। दरअसल किसी खास विषय से संबंधित विशेषज्ञों की कमी से स्टैण्डर्ड्स के निर्माण/पुनरीक्षण आदि में कई बार अनावश्यक विलंब हो रहा था जिसके कारण कई उप-समितियों को अपना 100% लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई आ रही थी। इस समस्या के समाधान हेतु हर उप-समिति में कम से कम एक 'सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट' को कांट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त करने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलते ही 'सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टस' की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे

स्टैण्डर्ड्स निर्माण की प्रक्रिया को और अधिक तेज तथा प्रभावी बनाया जा सकेगा।

कार्यशैली में सुधार

स्टैण्डर्ड निर्माण में लगे अधिकारियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करने एवं इस कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से एक अत्यंत प्रभावी कदम उठाया गया है। इसके लिए हमारे निदेशक महोदय की भूरि-भूरि प्रशंसा करनी होगी, जिन्होंने बैठकों में उठे इस तरह के प्रस्ताव को त्वरित कार्रवाई द्वारा अविलम्ब मूर्त रूप दे दिया है। इस योजना के तहत निदेशालय एवं डिफेन्स स्टैण्डर्डाइजेशन सेलों के कार्मिकों को निम्नलिखित पुरस्कारों से पुरस्कृत किए जाने की परंपरा शुरू की गई है:-

(क) वार्षिक सर्वोत्कृष्ट मानक-प्रपत्र हेतु पुरस्कार- इसके लिए सभी डिफेन्स स्टैण्डर्डाइजेशन सेलों द्वारा निर्मित स्टैण्डर्ड्स और उनकी गुणवत्ता का अलग-अलग पैरामीटर के आधार पर आकलन एवं मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से एक 'बोर्ड ऑफ आफिसर्स' द्वारा सम्पन्न की जाती है। तत्पश्चात प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे स्टैण्डर्ड्स के लेखकों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है।

(ख) सर्वोत्कृष्ट सचिव हेतु पुरस्कार- समूह की 15 उप-समितियों के सभी 'सचिवों' एवं 'समन्वय सचिवों' के कार्यों का अलग-अलग मापदंडों के आधार पर आकलन एवं मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से एक 'बोर्ड ऑफ आफिसर्स' द्वारा की जाती है। तत्पश्चात प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे अधिकारियों के उत्साहवर्धन के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है।

(ग) सर्वोत्कृष्ट कार्मिकों के लिए पुरस्कार- समूह की सभी उप-समितियों में सेवारत कार्मिकों को हर वर्ष मानकीकरण दिवस के अवसर पर निदेशक महोदय के कर कमलों द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यहां यह

स्पष्ट करना जरूरी है कि यह पुरस्कार उपर्युक्त दोनों प्रकार के पुरस्कारों से सर्वथा भिन्न है। यह पुरस्कार कार्यालय में कार्मिकों के वार्षिक कार्य निष्पादन की गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता है।

तो ये रहे-बदलते वक्त की चुनौतियों का सामना करने हेतु मानकी समूह द्वारा सुधार की दिशा में उठाये गए कुछ कदम। अपितु हमें यह भी याद रखना होगा कि सुधार और विकास की प्रक्रिया अनंतिम है जो अनवरत चलती रहती है। वक्त के साथ हमेशा बदलाव होता है और बदलते वक्त की बाधाओं को पार करते हुए सुधार की दिशा में कद़म उठाना ही हमारा कर्तव्य है। फिलहाल हमें पूर्ण विश्वास है कि मानकी समूह द्वारा उठाये गए इन सुधारात्मक उपायों से निश्चय ही हमें 'वन नेशन : वन स्टैण्डर्ड' का लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी। साथ ही, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब-जब इस क्षेत्र में बदलाव की आवश्यकता महसूस होगी, तब-तब मानकी समूह द्वारा भविष्य में भी ऐसे ही सुधारात्मक कदम उठाए जाते रहेंगे।

"हिंदी न केवल जीवंत, विशेष एवं समृद्ध संस्कृति का दर्पण है, अपितु दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने वाले मित्र राष्ट्र भारत की भाषा है। इजरायल के लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता का यही कारण है।"

- डॉ गेनादी श्लोम्पेर

कहानी कश्मीर की

अश्वनी कुमार, कनिष्ठ सचिवालय सहायक
मानकीकरण निदेशालय

भारत एक विशाल देश है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हर राज्य का अपना एक इतिहास रहा है। जहां दिल्ली को दिलवालों की नगरी, पंजाब में पांच नदियां, केरल की खूबसूरत वादियां और हरियाणा अपनी हरियाली और दूध-दही के खान-पान के लिए मशहूर हैं वहीं राजस्थान, बिहार अपने समृद्ध इतिहास के लिए। इसी प्रकार आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सिर का ताज कहे जाने वाले कश्मीर की जोकि अपनी खूबसूरती के लिए भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में प्रसिद्धि पा चुका है। कश्मीर भारत के उत्तर में स्थित बहुत ही खूबसूरत केन्द्र शासित प्रदेश है जिसको भारत का स्विटजरलैंड कहा जाता है। इसकी खूबसूरती को देखते हुये कवि ने क्या खूब कहा है कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है बस यहीं है। यहां की वादियां अनेक प्रकार के फल, सेबों के बाग आदि पर्यटकों का ध्यान अपनी और आकर्षित करते उन्हें यहां आने के लिए प्रेरित करते है। इसकी खूबसूरती को देखने के लिए हर वर्ष बहुत से पर्यटक यहां आते हैं।

लेकिन जैसा कि कहा जाता है पर्यटन को अक्सर नज़र लग जाती है कुछ ऐसा ही हुआ हमारे कश्मीर के साथ, कश्मीर जिसकी सीमा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगती है जो आंतकवादियों को शरण देता है और यहां आंतकवादी गतिविधियां करके कश्मीर को भारत से अलग करने की एक नाकाम कोशिश में हमेशा लगा रहता है लेकिन वो भूल गया कि हम हिन्दुस्तानी जहां **अतिथि देवो भवः** का अनुसरण करते हैं वहीं अपने दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब देना जानते हैं। कश्मीर को लेकर हर हिंदुस्तानी का जज्बा है किः

तुम दूध मांगोगे, हम खीर देंगें,
तुम कश्मीर मांगोगे, हम चीर देंगे।

जैसा कि हमने देखा पिछले सभी युद्धों में हमारे वीर सैनिकों ने अपना बलिदान देकर और अपने पराक्रम का परिचय देते हुए आंतकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा है और अब तक सभी युद्धों में पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई है।

कश्मीर पर कब्ज़ा करने के लिए पाकिस्तान हमसे 3 बार युद्ध कर चुका है और हर बार हमारे वीर सैनिकों ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए उनको करारी शिकस्त दी है। प्रत्यक्ष और अनेक बार अप्रत्यक्ष फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान द्वारा पोषित आंतकवादियों ने पहलगांव (कश्मीर) में घूमने गये भारतीय पर्यटकों को निशाना बनाया जिसमें 26 बेकसूर पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस कायराना हमले के जवाब में हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान की 9 पोस्टों पर जहां आंतकवादियों के ठिकाने थे, हमला करके आंतकवाद की कमर तोड़ दी। अगर भारत के विरूद्ध पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को नहीं रोकता तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अपनी आतंकवाद को पोषित करने की नीति के चलते पूरे विश्व में अलग-थलग पड़ जाएगा।

अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा किः-

बलिदान बेकार नहीं जाता,
लहू अपना रंग नहीं छिपाता।
गिरा जो लहू रंग ला रहा है,
वो देखो पाकिस्तान पछता रहा है।
पाक तेरे नापाक इरादे,
अपने शब्दकोश से मिटा दे।
कहीं ऐसा ना हो कि तेरे आतंक की नगरी में,
कोई हिन्दुस्तानी आग लगा दे।

कम्प्यूटर की दुनिया रंग-बिरंगी
पर खतरे भी है इसमें जंगी।
डाटा की रक्षा करनी होगी
सावधानी की चाल चलनी होगी।

पासवर्ड रखो कठिन, मज़बूत और लंबा
ना हो उसमें जन्मदिन और नाम का धंधा।
फिशिंग ईमेल से हो जाओ सतर्क
ना खोलो लिंक जो लगे संदिग्ध।

सार्वजनिक वाई-फाई से दूरी बनाओ
अपनी पहचान को ना यूं लुटाओ।
हर क्लिक से पहले सोचो भाई
कहीं उसमे वायरस ना छिपा हो कोई।

एंटीवायरस और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखना
हर डिवाइस को सिक्योर करना।
टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनाओ
हैकर्स से दूरी बनाओ।

डिजिटल दुनिया है सुविधाजनक
पर लापरवाही हो सकती बहुत घातक।
साइबर सुरक्षा को बनाओ ढाल
ताकि ना हो कोई डिजिटल बवाल।

अर्पण की रोशनी

डी. के. उमरेडकर, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी
रक्षा मानकीकरण सेल, पुणे

अर्पण एक बेहद साधारण और गरीब परिवार से आने वाला लड़का था। बचपन में उसकी आँखों की रोशनी ठीक थी लेकिन नौकरी लगने के करीब दस साल बाद उसकी रोशनी धीरे-धीरे कम होने लगी। इस कठिन परिस्थिति में भी उसकी माँ ने हमेशा उसे सिखाया - "हिम्मत मत हारना बेटा, गरीबी हो या अंधकार, मेहनत और ज़ज्बा सबसे बड़ी ताकत है।"

अर्पण ने इस सीख को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। वह ऑफिस में असिस्टट्र टेक्नोलॉजी और स्क्रीन रीडर की मदद से काम करता। फाइलें पढ़ना, दस्तावेज़ तैयार करना, ईमेल करना- सब काम वह बिना रुके करता। इतना ही नहीं वह अपने विभाग के बड़े-बड़े अधिकारियों के सामने पॉवर-प्वाइंट प्रेजेंटेशन देकर लेक्चर भी प्रस्तुत करता। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास और शब्दों में गहराई होती। अर्पण ने यह साबित कर दिया कि दिव्यांगता कोई बाधा नहीं है, बस मन मजबूत होना चाहिए।

अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिन्होंने बहानों को कभी अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया।

- **स्टीफन हॉकिंग**- मशहूर भौतिकशास्त्री जिनका शरीर लगभग पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया था लेकिन उनका दिमाग सितारों की उड़ान भरता रहा। व्हीलचेयर पर बैठकर उन्होंने ब्लैक होल्स और ब्रह्मांड के रहस्यों को दुनियां के सामने रखा। अगर वह चाहते तो अपने हालात को बहाना बनाकर चुप बैठ सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

- **मुनिबा मजारी**- पाकिस्तान की "आयरन लेडी" जो एक सड़क दुर्घटना के बाद व्हीलचेयर पर आ गईं लेकिन मुनिबा ने हार नहीं मानी। वह पेंटर बनीं, वक्ता बनीं और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं।

- **श्रीकांत बोला**- जन्म से ही दृष्टीहीन थे फिर भी अमेरिका के मशहूर शिक्षण संस्थान एमआईटी से पढ़ाई की और आज भारत में हजारों दिव्यागों को रोजगार दे रहे हैं। इनके संघर्ष की कहानी बताती है कि अगर जिद सच्ची हो तो अंधकार भी रास्ता रोशन कर देता है।

- **स्पर्श शाह**- जन्म से ही हड्डियों की दुर्बलता की बीमारी से जूझ रहे थे लेकिन वह एक बेहतरीन सिंगर और मोटीवेशनल स्पीकर बने। उनकी आवाज़ में इतनी मिठास है कि आज दुनिया भर के मंचों पर वह तालियां बटोरते हैं।

- **निक वुयचिच**- जिनके हाथ-पैर नहीं हैं फिर भी वह एक शानदार मोटीवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने कहा, "अगर मेरे जैसे इंसान के पास बहाने न बनाने की वजह है, तो आप और मैं क्यों बहाने बनाएं?"

अब ज़रा सोचिए जब ये लोग इतने बड़े संघर्षों के बावजूद बहाने नहीं ढूंढते तो हम छोटे-छोटे कारणों पर बहाने क्यों ढूंढते हैं? अक्सर देखा जाता है कि सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी अपने कार्यों से बचने के लिए तरह-तरह के बहाने गढ़ते हैं कभी तबियत का बहाना, कभी समय का बहाना तो कभी साधनों की कमी का बहाना। ये बहाने हमारी कार्यक्षमता को घटाते हैं और देश की प्रगति को बाधित करते हैं।

हमें यह समझना चाहिए कि हर बहाना हमें पीछे ले जाता है और हर कोशिश हमें आगे बढ़ाती है। अर्पण एवं उस जैसे अन्य दिव्यांग जो कठिन परिस्थितियों में भी बहाने नहीं बनाते तो हम पूरी तरह सक्षम होते हुए बहाने कैसे बना सकते हैं?

हमें बहानों को छोड़कर कर्मपथ पर अग्रसर होना चाहिए। यही देशभक्ति का असली प्रमाण है।

बहाने छोड़ो, कर्म से जोड़ो,
जीवन की नाव को तूफानों में मोड़ो।
अंधकार से डर मत जाना,
रोशनी खुद बनकर दिखलाना।
जीवन की राह में मुश्किल आए,
तब भी मन से हार न पाए।
जो अर्पण सा आगे बढ़ते हैं,
वो ही असली दीप जलाते हैं।

भाषा का निर्माण किसी सचिवालय में नहीं होता है। भाषा गढ़ी जाती है जनता की जिह्वा पर।

- रामवृक्ष बेनीपुरी

बेनीमाधव सिंह गौरीपुर गाँव के जमींदार और नम्बरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन-धान्य संपन्न थे। गाँव का पक्का तालाब और मंदिर जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति-स्तंभ थे। कहते हैं, जिस दरवाजे पर हाथी झूमता था, अब उसकी जगह एक बूढी भैंस थी। जिसके शरीर में अस्थि-पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती; क्योंकि एक न एक आदमी हाँड़ी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था।

बेनीमाधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय एक हजार रुपये वार्षिक से अधिक न थी ठाकुर साहब के दो बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बी.ए. की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लालबिहारी सिंह दोहरे बदन का, सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंस का दो सेर ताजा दूध वह उठ कर सबेरे पीता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बी०ए० इन्हीं दो अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैद्यक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम-सवेरे से उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्णमधुर ध्वनि सुनायी दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा-पढ़ी थी।

श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे; बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इससे गाँव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुम्ब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुम्ब में मिल-जुल कर रहने की जो

अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएँ उनकी निंदक थीं। कोई-कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थीं! स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास-ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ विर्वाह न हो सके, तो आये-दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकायी जाए।

आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी-सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, तीन कुत्ते, बाज बहरी-शिकरे, झाड़-फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। सात लड़कियाँ हुई और दैवयोग से सब की सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने तीन ब्याह दिल खोल कर किए; पर पंद्रह-बीस हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया, तो आँखे खुली, हाथ समेट लिया; आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूपसिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुन्दर संतान को कदाचित् उसके माता-पिता भी अधिक चाहते थे ठाकुर साहब बड़े धर्म-संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें? न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढे और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया माँगने आये। शायद नागरी-प्रचार का चंदा था। भूपसिंह उनके स्वभाव पर रीझ गये और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया।

आनंदी अपने नये घर में आयी, तो यहां पर रंग-ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम-टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहां नाम-मात्र को भी न थी। हाथी-घोड़ों का तो कहने ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लायी थी; पर यहां बाग कहां। मकान में खिड़कियाँ तक न थीं, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह सीधा-सादा देहाती गृहस्थ का

मकान था; किन्तु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नयी अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया, मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे।
एक दिन दोपहर के समय लालबिहारी सिंह दो चिड़िया लिये हुए आया और भावज से बोला- जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हाँडी में देखा, तो घी पाव-भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी, किफायत क्या जाने। उसने सब घी माँस में डाल दिया। लालबिहारी खाने बैठा, तो दाल में घी न था, बोला- दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा?

आनंदी ने कहा- घी सब माँस में पड़ गया। लालबिहारी जोर से बोला- अभी परसों घी आया है। इतना जल्दी उठ गया?

आनंदी ने उत्तर दिया- आज तो कुल पाव-भर रहा होगा। वह सब मैंने माँस में डाल दिया।

जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उसी तरह क्षुधा से बावला मनुष्य जरा-जरा सी बात पर तिनक जाता है। लालबिहारी को भावज की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई, तिनक कर बोला —मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो!

स्त्री गालियाँ सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुँह फेर कर बोली— हाथी मरा भी, तो नौ लाख का। वहाँ इतना घी नित्य नाई-कहार खा जाते हैं।

लालबिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला – जी चाहता है, जीभ पकड़ कर खींच लूँ।

आनंदी को भी क्रोध आ गया। मुँह लाल हो गया, बोली – वह होते तो आज इसका मजा चखाते।

अब अपढ़, उजड्ड ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता, उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊँ

उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला—जिसके गुमान पर भूली हुई हो, उसे भी देखूँगा और तुम्हें भी।

आनंदी ने हाथ से खड़ाऊँ रोकी, सिर बच गया; पर ऊँगली में बड़ी चोट आयी। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भाँति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गयी। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूँट पीकर रह गयी।

श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। दो दिन तक आनंदी कोप-भवन में रही। न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आये और बाहर बैठ कर कुछ इधर-उधर की बातें, कुछ देश-काल संबंधी समाचार तथा कुछ नये मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप दस बजे रात तक होता रहा। गाँव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने-पीने की भी सुधि न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये दो-तीन घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे! किसी तरह भोजन का समय आया। पंचायत उठी। एकांत हुआ, तो लालबिहारी ने कहा- भैया, आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जायेगा।

बेनीमाधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी – हाँ, बहू-बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुँह लगें।

लालबिहारी- वह बड़े घर की बेटी हैं, तो हम भी कोई कुर्मी-कहार नहीं हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा-आखिर बात क्या हुई?

लालबिहारी ने कहा-कुछ भी नही; यों ही आप ही आप उलझ पड़ीं। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं।

श्रीकंठ खा-पीकर आनंदी के पास गये। वह भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा-चित्त तो प्रसन्न है।

श्रीकंठ बोले-बहुत प्रसन्न है; पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है ?

आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गये, झुँझलाहट के मारे बदन में ज्वाला-सी दहक उठी। बोली- जिसने तुमसे यह आग लगायी है, उसे पाऊँ, मुँह झुलस दूँ।

श्रीकंठ- क्या कहूँ गरम क्यों होती हो, बात तो कहो।

आनंदी- क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है! नहीं तो गँवार छोकरा, जिसको चपरासगिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाऊँ से मार कर यों न अकड़ता।

श्रीकंठ- सब हाल साफ-साफ कहो, तो मालूम हो। मुझे तो कुछ पता नहीं।

आनंदी- परसों तुम्हारे भाई ने मुझसे माँस पकाने को कहा। घी हाँडी में पाव-भर से अधिक न था। वह सब मैंने माँस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा- दाल में घी क्यों नहीं है। बस, इसी पर मेरे मैके को बुरा-भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई-कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊं फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लूँ, तो सिर फट जाय। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ।

श्रीकंठ की आँखे लाल हो गयीं। बोले- यहाँ तर हो गया, इस छोकरे का यह साहस!

आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी; क्योंकि आँसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था; स्त्रियों के आँसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम देते हैं। रातभर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले- दादा, अब इस घर में मेरा निबाह न होगा।

इस तरह की विद्रोह- पूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परन्तु दुर्भाग्य, आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुँह से कहनी पड़ीं! दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है!

बेनीमाधव सिंह घबरा उठे और बोले- क्यों?

श्रीकंठ- इसलिए कि मुझे भी अपनी मान-प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर-सम्मान करना चाहिए, वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा। घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊँ और जूतों की बौछारें होती हैं। कड़ी बात तक चिन्ता नहीं। कोई एक की दो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ किन्तु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात-घूँसे पड़ें और मैं दम न मारूँ।

बेनीमाधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देख कर बूढा ठाकुर अवाक् रह गया। केवल इतना ही बोला- बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो? स्त्रियाँ इस तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं।

श्रीकंठ- इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने-बुझाने से इस गाँव में कई घर संभल गये, पर जिस स्त्री की मान-प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत् व्यवहार मुझे असह्यय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लालबिहारी को कुछ दंड नहीं देता।

अब बेनीमाधव सिंह भी गरमाये। ऐसी बातें और न सुन सके। बोले- लालबिहारी तुम्हारा भाई है। उससे जब कभी भूल-चूक हो, उसके कान पकड़ो लेकिन....

श्रीकंठ- लालबिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता।

बेनीमाधव सिंह- स्त्री के पीछे?

श्रीकंठ- जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेक के कारण।

दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लालबिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गाँव के और कई सज्जन हुक्के-चिलम के बहाने वहाँ आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार हैं, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी

आत्माएँ तिलमिलाने लगीं। गाँव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे, जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनीमाधव सिंह उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएँ आज पूरी होती दिखायी दीं। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनीमाधव सिंह पुराने आदमी थे। इन भावों को ताड़ गये। उन्होंने निश्चय किया चाहे कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूँगा। तुंरत कोमल शब्दों में बोले-बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ। तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया।

इलाहाबाद का अनुभव-रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग-क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, इन हथकंडों की उसे क्या खबर? बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी, वह उसकी समझ में न आया। बोला- लालबिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता।

बेनीमाधव सिंह- बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है। उससे जो कुछ भूल हुई, उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो।

श्रीकंठ- उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है, तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप सँभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए, जहाँ चाहे चला जाये। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है।

लालबिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान न करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते, तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था, पाँच रुपये

के पैसे लुटाये थे। ऐसे भाई के मुँह से आज ऐसी ह्रदय-विदारक बात सुन कर लालबिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट-फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किये पर पछता रहा था।

भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूँ भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊँगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आँखे उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था। परन्तु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुला कर दो-चार बातें कह देते; इतना ही नहीं दो-चार तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दु:ख न होता; पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लालबिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आँखें पोंछी, जिसमें कोई यह न समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला-भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुँह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुँह न दिखाऊँगा! मुझसे जो कुछ अपराध हुआ, उसे क्षमा करना।

यह कहते-कहते लालबिहारी का गला भर आया।

जिस समय लालबिहारी सिंह सिर झुकाये आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आँखें लाल किये बाहर से आये। भाई को खड़ा देखा, तो घृणा से आँखें फेर लीं और कतरा कर निकल गये। मानो उसकी परछाई से दूर भागते हों।

आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी; लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जायेगी। वह मन में अपने पति पर झुँझला रही थी कि यह इतने गरम क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें, तो कैसे क्या करूँगी। इस बीच में जब उसने लालबिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ मुझसे जो कुछ अपराध हुआ, क्षमा

करना, तो उसका रहा-सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन-जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है।

श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा- लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं।

श्रीकंठ- तो मैं क्या करूँ?

आनंदी- भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे! मैंने कहाँ से यह झगड़ा उठाया।

श्रीकंठ- मैं न बुलाऊँगा।

आनंदी- पछताओगे। उन्हें बहुत ग्लानि हो गयी है, ऐसा न हो, कहीं चल दें।

श्रीकंठ न उठे। इतने में लालबिहारी ने फिर कहा- भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वह मेरा मुँह नहीं देखना चाहते; इसलिए मैं भी अपना मुँह उन्हें न दिखाऊँगा।

लालबिहारी इतना कह कर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लालबिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आँखों में आँसू भरे बोला- मुझे जाने दो।

आनंदी- कहाँ जाते हो?

लालबिहारी- जहाँ कोई मेरा मुँह न देखे।

आनंदी- मैं न जाने दूँगी?

लालबिहारी- मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ।

आनंदी- तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढाना।

लालबिहारी- जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मै इस घर में कदापि न रहूँगा।

आनंदी- मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है।

अब श्रीकंठ का ह्रदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लालबिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट-फूट कर रोये। लालबिहारी ने सिसकते हुए कहा- भैया, अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुँह न देखूँगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे, मैं सहर्ष स्वीकार करूँगा।

श्रीकंठ ने काँपते हुए स्वर से कहा- लल्लू! इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा, तो फिर ऐसा अवसर न आवेगा।

बेनीमाधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गये। बोल उठे बड़े घर की बेटियाँ ऐसी होती हैं। बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं।

गाँव में जिसने यह वृत्तांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा- 'बड़े घर की बेटियाँ ऐसी ही होती हैं।'

"हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेद-भाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है।"

- मदन मोहन मालवीय

14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, भारत के संविधान के भाग-17, अनुच्छेद 343 से 351 के अनुसार संघ अर्थात भारत सरकार की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी है तथा अंकों के लिए भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग किया जाएगा, जैसेः- 1,2,3,4,5,6,7,8,9 आदि।

संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1963 में संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया गया। इस अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार कुछ कागजात हिंदी और अंग्रेजी अर्थात् द्विभाषी रूप में जारी करने जरूरी हैं। किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले ये कागजात निम्नलिखित हैं:-

- सामान्य आदेश (General Order)- स्थायी प्रकार के सभी आदेश, निर्णय, अनुदेश, परिपत्र जो विभागीय प्रयोग के लिए हो तथा ऐसे सभी आदेश, पत्र, ज्ञापन, नोटिस, परिपत्र आदि जो सरकारी कर्मचारियों के समूह अथवा समूहों के संबंध में या उनके लिए हो।
- संकल्प (Resolution)
- अधिसूचना (Notification)
- प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट (Administrative and other reports)
- प्रेस विज्ञप्तियां (Press Communiques)
- नियम (Rules)

- संसद के दोनों सदनों में रखी जाने वाली प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट और सरकारी कागजात (Administrative and other reports reports and Official documents to be laid in Parliament)
- लाइसेंस (Licences)
- नोटिस (Notice)
- संविदा (Contract)
- करार (Agreement)
- टेंडर नोटिस तथा टेंडर फार्म (Tender Notice & Tender Form)
- अनुज्ञापत्र (Permit)
- अन्य प्रतिवेदन (Other Reports)

राजभाषा नियम 1976 की मुख्य बातेः-

राजभाषा नीति के अनुपालन की दृष्टि से राजभाषा नियम 1976 के अनुसार देश भर में 'क', 'ख' एवं 'ग' तीन क्षेत्र बनाए गए हैं जिनमें निम्नलिखित राज्य आते हैं:-

- 'क' क्षेत्र- बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।
- 'ख' क्षेत्र- गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ संघ राज्य, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।
- 'ग' क्षेत्र- 'क' और 'ख' क्षेत्र में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र।
- केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' और 'ख' में स्थित केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कार्यालयों या व्यक्तियों को पत्रादि हिंदी में भेजे जाएंगे और यदि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनका हिंदी अनुवाद साथ में भेजा जाएगा।

- केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों और व्यक्तियों को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाएंगे और यदि हिंदी में भेजे जाते हैं तो उनका अंग्रेजी अनुवाद साथ में भेजा जाएगा।
- हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाएंगे।
- राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी कागजात हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी।
- कोई भी कार्मिक आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी एक में कर सकता है। हिंदी में लिखित या हस्ताक्षरित आवेदन, अपील या अभ्यावेदन का उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा। कोई भी कार्मिक अपनी सेवा संबंधी विषयों से संबंधित आदेश या सूचना कार्यालय से हिंदी या अंग्रेजी में प्राप्त कर सकता है।
- कोई भी कार्मिक फाइल पर नोटिंग या कार्यवृत हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे उसका अनुवाद नहीं मांगा जाएगा। हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिक हिंदी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की तभी मांग कर सकता है जब वह विविध या तकनीकी प्रकृति का हो। प्रकृति के बारे में कार्यालय प्रधान का निर्णय अंतिम होगा।

हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान और प्रवीणताः-

कोई भी कार्मिक हिंदी में प्रवीणता प्राप्त तभी माना जाएगा यदि उसनेः-

(क) मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से पास की हो अथवा

(ख) हिंदी विषय के साथ स्नातक परीक्षा अथवा उसके समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो, अथवा

(ग) वह यह घोषणा करता है कि वह हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है।

कोई भी कार्मिक हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त तभी माना जाएगा यदि उसनेः-

(क) मैट्रिक परीक्षा या उससे समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ पास की हो, अथवा

(ख) केंद्रीय सरकार की हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उसने सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई अन्य परीक्षा पास कर ली है अथवा

(ग) वह यह घोषणा करता है कि वह हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है।

- यदि किसी कार्यालय के 80 प्रतिशत कार्मिक हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लेते है तो उस कार्यालय का नाम राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। ऐसे कार्यालय के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों को कुछ विषय केवल हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किए जा सकते है तथा प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों को हिंदी में काम करने संबंधी व्यक्तिशः आदेश जारी किए जा सकते है।
- मैनुअल, संहिताएं (कोड), प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि हिंदी एवं अंग्रेजी में ही तैयार की जाएं। रजिस्टरों के शीर्षक, फार्म, नामपट्ट, सूचना पट्ट पत्रशीर्ष, लिफाफों पर लेखन, रबड़ की मोहरें, साइन बोर्ड तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में यानी कि द्विभाषी रूप में होनी चाहिए जिसमें हिंदी ऊपर और अंग्रेजी नीचे होगी और हिंदी वर्णों का आकार अंग्रेजी वर्णों से कम नहीं होगा।
- राजभाषा अधिनियम और नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्य केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का है।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षणः-

संसदीय राजभाषा समिति राजभाषा हिंदी के प्रयोग की मॉनिटरिंग और इस संबंध में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने संबंधी राय देने के लिए सर्वोच्च समिति है। इस समिति में कुल 30 संसद सदस्य होते हैं- 20 सदस्य लोक सभा और 10 सदस्य राज्य सभा से होते हैं। इस समिति को 3 उप-समितियों में बांटा गया है। इस समिति की पहली उप-समिति रक्षा मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण करती है। यह उच्च अधिकार प्राप्त समिति है और इस बात की जांच करती है कि कार्यालय में राजभाषा अधिनियम 1963 के उपबंधों, राजभाषा नियम 1976 और राजभाषा हिंदी के बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का पूरा पालन किया जा रहा है या नहीं।

यह समिति अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। राजभाषाई निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाने की जरूरत हैः-

- ✓ सभी फाइलों पर विषय हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखे जाएं।
- ✓ प्रशासन से संबंधित समस्त पत्राचार हिंदी मे किए जाएं।
- ✓ अनुस्मारक, पावती और कवरिंग पत्र हिंदी में भेजे जाएं।
- ✓ बार-बार जारी होने वाले छोटे-छोटे पत्र हिंदी में भेजे जाएं।
- ✓ पत्र शीर्ष (लेटर हेड) द्विभाषी हो।
- ✓ परिपत्र (सर्कुलर) हिंदी में या द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं।
- ✓ नाम पट्ट और साइन बोर्ड द्विभाषी रूप में तैयार कराए जाएं।
- ✓ रबड़ की मोहरें अनिवार्य रूप से द्विभाषी हों।
- ✓ राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक तीन माह में एक बार अवश्य आयोजित की जाए।
- ✓ हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाएं।
- ✓ 'क' क्षेत्र की राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से मूल पत्राचार हिंदी में किया जाए तथा उनसे कोई पत्र अंग्रेजी में भी आए तो उसका उत्तर

हिंदी में दिया जाए। अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिंदी में देने की कोशिश की जाए।

- ✓ कनिष्ठ सचिवालय सहायक एवं लिपिक/क्लर्क जी. डी. के लिए हिंदी टाइपिंग का ज्ञान होना जरूरी है।
- ✓ आशुलिपिक के लिए हिंदी आशुलिपि का ज्ञान होना जरूरी है।
- ✓ सभी कार्मिक हिंदी में मूल रूप से कार्य करें। अनुवाद पर निर्भरता के बजाए मूल रूप में हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में काम किया जाए। रूटीन अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखकर इस्तेमाल किया जा सकता है।
- ✓ सभी कंम्प्यूरों पर 'यूनिकोड' इंस्टाल करवाया जाए। इससे कार्मिकों को हिंदी में कार्य करने में मदद मिलेगी।
- ✓ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास किए जाएं। वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा परिचालित कर दिया गया है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी हिंदी के प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2025-2026 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य

क्र. सं.	कार्य विवरण	क क्षेत्र	ख क्षेत्र	ग क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 70% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के100% कार्यालय/व्यक्ति को	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति को 90%	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 60% 2.ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 60% 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति को 60%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	80%	55%	35%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण	75%	65%	35%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	45%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/ की-बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं एवं सहायक द्वारा)	70%	60%	35%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद।	100%	100%	100%

11.	वेबसाइट द्वविभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं।	100%	100%	100%
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति	वर्ष में 2 बैठकें		
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)		
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
15.	कोड, मैनुअल फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16.	मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हो।	45%	35%	25%

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सरकार की राजभाषा नीति को बढ़ावा देने तथा कार्मिकों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं लागू की गई हैं:-

1. **<u>हिंदी भाषा प्रशिक्षण</u>**

(क) प्रबोधः यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। वे सभी कार्मिक जिन्हें प्राथमिक (प्राइमरी) स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है। वे इस प्रशिक्षण के पात्र हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अल्पकालिक (25 पूर्ण कार्य दिवसीय), दीर्घकालिक (पांच माह तक एक घंटा प्रति कार्य दिवस) एवं पत्राचार द्वारा (1 वर्ष की अवधि में) आयोजित किए जाते हैं।

(ख) प्रवीणः यह प्रशिक्षण माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा में उत्तीर्ण कार्मिक या फिर वे कार्मिक जिन्हें माध्यमिक (मिडिल) स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, नामित होंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अल्पकालिक (20 पूर्ण कार्य दिवसीय), दीर्घकालिक (पांच माह तक एक घंटा प्रति कार्य दिवस) एवं पत्राचार द्वारा (01 वर्ष की अवधि में) आयोजित किए जाते हैं।

(ग) प्राज्ञः यह प्रशिक्षण मैट्रिक स्तर का हैं। इसमें प्रवीण परीक्षा में उत्तीर्ण कार्मिक या फिर वे कार्मिक जिन्हें मैट्रिक स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, नामित होंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अल्पकालिक (15 पूर्ण कार्य दिवस), दीर्घकालिक (पांच माह तक एक घंटा प्रति कार्य दिवस) अवधि में आयोजित किए जाते हैं।

(घ) पारंगतः यह प्रशिक्षण हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कार्मिकों को सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग में और अधिक पारंगत बनाने के उद्देश्य से चलाया जाता है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अल्पकालिक (20 पूर्ण कार्य दिवस) एवं

दीर्घकालिक (पांच माह तक एक घंटा प्रति कार्य दिवस) अवधि में आयोजित किए जाते हैं।

क्र.सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अंकों का प्रतिशत एवं प्रोत्साहन राशि		
		55 से 59 %	60 से 69 %	70 % से अधिक
1.	प्रबोध	रूपये 1000/-	रूपये 2000/-	रूपये 4000/-
2.	प्रवीण	रूपये 1500/-	रूपये 3000/-	रूपये 4500/-
3.	प्राज्ञ	रूपये 2000/-	रूपये 4000/-	रूपये 6000/-

साथ ही, हिंदी की अंतिम परीक्षा (प्राज्ञ) पास करने पर 12 माह के लिए एक वेतनवृद्धि प्रदान की जाती है।

(प्राधिकारः कार्यालय ज्ञापन सं. 21034/25/2024-रा.भा. (प्रशि.) दिनांक 01 जुलाई 2025)

2. <u>हिंदी टंकण प्रशिक्षण</u>

यह प्रशिक्षण अनिवार्य रुप से अवर श्रेणी लिपिकों/क्लर्क जीडी के लिए है। अन्य कार्मिक सीट रिक्त होने पर स्वेच्छा से भाग ले सकते हैं। यह प्रशिक्षण दो स्तरों पर चलाया जाता हैः-

(**क**) हिंदी टंकण अल्पकालिक (गहन) प्रशिक्षण कार्यक्रम, अवधिः 40 पूर्ण कार्य दिवस।

(**ख**) हिंदी टंकण दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अवधिः 5 माह तक 1 घंटा प्रति कार्य दिवस।

वित्तीय प्रोत्साहन

उक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पास करने पर 12 माह के लिए एक वेतनवृद्धि दी जाती है। इसके अतिरिक्त, प्राप्तांक के आधार पर निम्नलिखित राशि एकमुश्त दी जाएगी।

क्र.सं.	प्राप्तांक	राशि
1.	97% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रूपये 6000/-
2.	95% या इससे अधिक परंतु 97% से कम अंक प्राप्त करने पर	रूपये 4000/-
3.	90% या इससे अधिक परंतु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर	रूपये 2000/-

3. हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण

यह प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से उन सभी अंग्रेजी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों एवं निजी सचिवों के लिए है जिन्होंने अभी तक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। यह प्रशिक्षण दो स्तरों पर चलाया जाता है।

(**क**) हिंदी आशुलिपि अल्पकालिक (गहन) प्रशिक्षण कार्यक्रम अवधिः 80 पूर्ण कार्य दिवस।

(**ख**) हिंदी आशुलिपि दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अवधिः 01 वर्ष तक 1 घंटा प्रति कार्य दिवस।

वित्तीय प्रोत्साहन

उक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पास करने पर 12 माह की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि दी जाती है। जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर दो वेतनवृद्धियों के बराबर

वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राप्तांक के आधार पर निम्नलिखित राशि एकमुश्त दी जाएगीः

क्र.सं.	**प्राप्तांक**	**राशि**
1.	95 % या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रूपये 6000/-
2.	92 % या इससे अधिक परंतु 95 % से कम अंक प्राप्त करने पर	रूपये 4000/-
3.	88 % या इससे अधिक परंतु 92 % से कम अंक प्राप्त करने पर	रूपये 2000/-

(प्राधिकारः का.ज्ञा.सं. 21034/25/2024-रा.भा. (प्रशि.) दिनांक 01 जुलाई, 2025)

4. <u>केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>

यह प्रशिक्षण मूलतः हिंदी अनुवाद अधिकारियों के लिए है। इसके अतिरिक्त, कार्यालय में हिंदी संबंधी कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए भी है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न सत्रों में विभिन्न अवधियों में चलाया जाता है। वर्तमान में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 पूर्ण कार्य दिवसों का है।

5. <u>मूल हिंदी टिप्पण एवं मसौदा लेखन पुरस्कार योजना</u>

1. इस योजना के अंतर्गत सरकारी कामकाज में एक वित्तीय वर्ष में हिंदी में कम से कम 20,000 या इससे अधिक ('क' एवं 'ख' के लिए) तथा कम से कम 10,000 या इससे अधिक शब्द ('ग' क्षेत्र के लिए) लिखने पर निम्नानुसार नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाती हैः-

(क) प्रथम पुरस्कार (दो)- प्रत्येक रूपये 5000/-

(ख) द्वितीय पुरस्कार (तीन)- प्रत्येक रूपये 3000/-

(ग) तृतीय पुरस्कार (पांच)- प्रत्येक रूपये 2000/-

2. अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रत्येक रूपये 5000/- (एक पुरस्कार हिंदी भाषी एवं एक पुरस्कार अन्य भाषा-भाषी के लिए)

(प्राधिकारः का.ज्ञा.सं. 12013/01/2011-रा.भा. (नीति) दिनांक 14 सितंबर, 2016)

6. <u>विशेष प्रोत्साहन भत्ता</u>

अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में सरकारी काम करने के लिए अंग्रेजी आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को हिंदी प्रोत्साहन भत्ता देने की योजना है। इस योजना के अधीन एक निर्धारित मात्रा (हिंदी में औसतन पांच टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रतिदिन अथवा 300 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रति तिमाही टाइप करना) में सरकारी काम हिंदी में करने के लिए अंग्रेजी आशुलिपिकों को रूपये 240/- एवं टाइपिस्टों को रूपये 160/- प्रतिमाह देने का प्रावधान है।
(प्राधिकारीः का.ज्ञा.सं. 13034/12/2009-रा.भा.(नीति) दिनांक 06 मई, 2014)

7. <u>हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना</u>

इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्मिकों **(सेवानिवृत्त सहित)** को हिंदी में विभिन्न विषयों पर मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित हैः-

i) हिंदी में ज्ञान-विज्ञान संबंधी मौलिक पुस्तक लेखन हेतु

(**क**) प्रथम पुरस्कार- रूपये 2,00,000/- एवं प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

(**ख**) द्वितीय पुरस्कार- रूपये 1,50,000/- एवं प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

(**ग**) तृतीय पुरस्कार- रूपये 75,000/- एवं प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

ii) न्यायालयिक विज्ञान, पुलिस, अपराधशास्त्र अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन

(क) प्रथम पुरस्कार- रूपये 1,50,000/- एवं प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
(ख) द्वितीय पुरस्कार- रूपये 1,00,000/- एवं प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

iii) संस्कति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन

(क) प्रथम पुरस्कार- रूपये 1,50,000/- एवं प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
(ख) द्वितीय पुरस्कार- रूपये 1,00,000/- एवं प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

iv) विधि के क्षेत्र में हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन

(**क**) प्रथम पुरस्कार- रूपये 1,50,000/- एवं प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
(**ख**) द्वितीय पुरस्कार- रूपये 1,00,000/- एवं प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

(प्राधिकारः गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग संकल्प सं. 11034/01/2023-राजभाषा (नीति), दिनांक 21 मार्च 2023)

हिंदी पखवाड़ा 2025
पुरस्कार वितरण समारोह

कार्यक्रम का संचालन करते हुए वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निदेशक महोदय का स्वागत करते हुए संयुक्त निदेशक (प्रशा-॥)

हिंदी दिवस पर माननीय रक्षा मंत्री का संदेश पढते हुए संयुक्त निदेशक (प्रशा-॥) महोदय

दीप प्रज्वलन कर समारोह का शुभारंभ करते हुए निदेशक महोदय एवं वरिष्ठ अधिकारीगण

हिंदी पखवाड़ा 2025 समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए निदेशक महोदय

हिंदी पखवाड़ा पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान पुरस्कृत प्रतिभागी

निदेशक महोदय से वर्ष 2024-25 में हिंदी में सर्वाधिक कार्य करने के लिए दी जाने वाली मानकीकरण निदेशालय राजभाषा शील्ड' प्राप्त करते हुए सी एंड सी समूह के अधिकारी एवं कार्मिक

निदेशक महोदय के साथ हिंदी पखवाड़ा 2025 समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह की आयोजक टीम

विश्व पर्यावरण दिवस 2025

विश्व पर्यावरण दिवस के लिए प्री-कैंपेन चरण का आयोजन 22मई 2025से 05जून 2025की अवधि के दौरान मानकीकरण निदेशालय में किया गया था। इस दौरान पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मानकीकरण निदेशालय मुख्यालय और रक्षा मानकीकरण सेलों एवं प्रकोष्ठों में विभिन्न गतिविधियां की गईं। प्री-कैंपेन चरण के दौरान "पर्यावरण पर प्लास्टिक के प्रभाव " पर व्याख्यान ,कार्यालय परिसर में 'नो प्लास्टिक जोन 'को चिह्नित करना ,कार्यालय के आसपास- प्लास्टिक कचरे का संग्रह तथा "उचित अपशिष्ट पृथक्करण , रीसाइक्लिंग और प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन "पर सेमिनार आयोजित किया गया। 05जून 2025को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मानकीकरण निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा 'एकल-उपयोग-प्लास्टिक' के उपयोग को कम करने और दैनिक जीवन में प्लास्टिक कचरे को घटाने के बारे में जागरुकता बढ़ाने की शपथ ली गई। तत्पश्चात्, डॉ .वेद प्रकाश, सहायक प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा **'पर्यावरण पर प्लास्टिक का प्रभाव'** विषय पर एक व्याख्यान दिया गया। इस व्याख्यान ने दर्शकों में 'एकल-उपयोग प्लास्टिक' के उपयोग को कम करने संबंधी आवश्यक उपायों को अपनाने में रुचि पैदा की।

आमंत्रित वक्ता डा. वेद प्रकाश का निदेशालय में स्वागत करते हुए निदेशक महोदय

आमंत्रित वक्ता के साथ निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारीगण

'पर्यावरण पर प्लास्टिक का प्रभाव' विषय पर व्याख्यान देते हुए आमंत्रित वक्ता डा. वेद प्रकाश

व्याख्यान उपरांत आमंत्रित वक्ता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए निदेशालय के अधिकारीगण

मानकीकरण निदेशालय
63वां स्थापना दिवस

26 जून 2025 को मानकीकरण निदेशालय का 63वां स्थापना दिवस निदेशालय में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में निदेशक, मानकीकरण निदेशालय ने सभी कार्मिकों को संबोधित किया एवं विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाले कार्मिकों को पुरस्कृत भी किया। तत्पश्चात, निदेशालय के कार्मिकों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जिसे दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। अंत में, हर्षोल्लास के साथ निरंतर बेहतर कार्य करने का प्रण लेते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया गया।

'मानकीकरण दिवस' कार्यक्रम का संचालन करते हुए ले. कर्नल (तकनीकी प्रबंधक केंन्द्र) एवं सहायक निदेशक (राजभाषा)

दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए निदेशक महोदय एवं वरिष्ठ अधिकारीगण

'मानकीकरण दिवस' के अवसर पर संबोधन देते हुए निदेशक महोदय

'मानकीकरण दिवस 2025' के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की कुछ झलकियां

रक्षा मानकी दर्पण

प्रकाशक:

मानकीकरण निदेशालय

6वां तल, 'ए' ब्लॉक, रक्षा कार्यालय परिसर

के.जी. मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दूरभाषः 011 23043262

राजभाषा अनुभागः hindisec1.defstand@gov.in

मानकी समूहः Stdadm4.defstand@gov.in

सी एंड सी समूहः Crucnc.defstand@gov.in

टी एस जी समूहः ddtraining.defstand@gov.in

.....

'रक्षा मानकी दर्पण' के आगामी अंक (30वें अंक) के लिए रचनाएं आमंत्रित हैं। कृपया रचनाएं ऊपर दिए गये पते पर या ई-मेल पर भिजवाई जाएं।